Printed at : Caxton Press, 2-E, Jhandewalan Extn., New Delhi-110055, Mob. : 9818430022

59वीं वार्षिक रिपोर्ट
59th Annual Report
2014-15

दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
The Fertilizer Corporation of India Limited
A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING

अनुक्रमणिका
CONTENTS

निदेशक मंडल, प्रमुख कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक-एकक, एकक/प्रभाग/कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, लेखापरीक्षक, बैंकर्स तथा कानूनी सलाहकार	:	2
Board of Directors, Principal Executives, Chief Executives-Units, Units/Division/Office, Registered Office, Central Office, Auditors, Bankers and Legal Advisers	:	2
सूचना/Notice	:	6
निदेशकों की रिपोर्ट/Directors' Report	:	7
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/Auditors' Report	:	38
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	:	56
Comments of the Comptroller and Auditor General of India	:	57
तुलन-पत्र/Balance Sheet	:	58
लाभ एवं हानि लेखा/Profit & Loss Account	:	60
अनुसूची 2 से 21/Note 2 to 21	:	62
लेखा विधि नीतियां तथा टिप्पणियाँ जो लेखों का भाग हैं (अनुसूची : 1)	:	80
Accounting Policies & Notes Forming Part of Accounts (Note : 1)	:	80
नकद प्रवाह विवरण/Cash Flow Statement	:	94

निदेशक मंडल

श्री सुशील कुमार लोहानी, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार
(01.07.2014 से)

श्री सतीश चन्द्र, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव (पी एण्ड ए),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार
(12.07.2012 से 01.07.2014 तक)

श्री सुशील पाल
निदेशक (एफ.ए.)
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार
(18.07.2013 से)

श्री एस. आनंदन,
उप सचिव
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(8.8.2011 से 31.01.2015 तक)

श्री विजय रंजन सिंह,
निदेशक (एफ),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(27.08.2012 से)

BOARD OF DIRECTORS

Shri Sushil Kumar Lohani, IAS,
Joint Secretary,
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chairman &
Managing Director
(w.e.f.01.07.2014)

Shri Satish Chandra, IAS
Joint Secretary (P&A),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chairman &
Managing Director
(w.e.f.12.07.2012 to 01.07.2014)

Shri Sushil Pal
Director (FA),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Director (Finance)
(w.e.f. 18.07.2013)

Shri S. Anandan
Dy. Secretary,
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers
(w.e.f. 8.8.2011 to 31.01.2015)

Shri Vijay Ranjan Singh
Director (F)
Deptt. of Fertilizers
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
(w.e.f. 27.08.2012)

प्रमुख कार्यपालक

मेजर विक्रम सिंह राणा
निदेशक (परिचालन)
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार
(04.12.2014 से)

श्री विजय रंजन सिंह,
निदेशक (एफ),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार
(27.08.2014 से 04.12.2014 तक)

श्री राजीव कुमार
उप सचिव (ए.एण्ड वी.),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार
(01.06.2012 से 27.08.2014)

श्रीमती सिओन कोंगारी
कार्यवाहक महाप्रबंधक

श्री के. एल. राव
विशेष कार्य अधिकारी

मुख्य कार्यपालक – एकक

श्री ए. के. मिश्र
प्रभारी, महाप्रबंधक, पी डी आई एल,
एफ. सी. आई. एल. सिन्दरी के महाप्रबंधक का अतिरिक्त कार्यभार

श्री इरफान अहमद
कार्यवाहक महाप्रबंधक, तलचर

PRINCIPAL EXECUTIVES

Major Vikram Singh Rana
Director (Movement)
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chief Vigilance Officer
(w.e.f.04.12.2014)

Shri Vijay Ranjan Singh,
Director (F),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chief Vigilance Officer
(From 27.08.2014 to 04.12.2014)

Shri Rajiv Kumar,
Dy. Secretary (A&V),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chief Vigilance Officer
(From 01.6.2012 to 27.08.2014)

Smt. Sion Kongari
Actg. General Manager

Shri K.L. Rao
Officer on Special Duty

CHIEF EXECUTIVES - UNITS

Shri A. K. Mishra
Incharge, General Manager, PDIL
Additional Charge of GM, FCIL, Sindri

Shri Irfan Ahmed
Actg. General Manager, Talcher

श्री चन्द्र प्रताप
प्रभारी, गोरखपुर

श्रीमती एम. वी. सीता
प्रभारी, रामागुण्डम

श्री आर. एल. देशभ्रतार
प्रभारी, कोरबा

एकक/प्रभाग/कार्यालय

सिन्दरी एकक	–	झारखण्ड
गोरखपुर एकक	–	उत्तर प्रदेश
रामागुण्डम एकक	–	तेलंगाना
तलचर एकक	–	ओडिसा
कोरबा प्रभाग	–	छत्तीसगढ़
केन्द्रीय कार्यालय	–	नोएडा (यू.पी.)

पंजीकृत कार्यालय

7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
स्कोप कॉम्पलैक्स, कोर-III
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

केन्द्रीय कार्यालय

पी.डी.आई.एल. भवन (पांचवी मंजिल),
ए-14, सेक्टर-1, नोएडा,
जिला-गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश-201 301

लेखा परीक्षक

मैसर्स घोष खन्ना एण्ड कम्पनी,
सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

Shri Chandra Pratap
Incharge, Gorakhpur

Smt. M.V. Sita
Incharge, Ramagundam

Shri R.L. Deshbhratar,
Incharge, Korba

UNITS/DIVISION/OFFICE

Sindri Unit	–	Jharkhand
Gorakhpur Unit	–	Uttar Pradesh
Ramagundam Unit	–	Telangana
Talcher Unit	–	Odisha
Korba Division	–	Chhatisgarh
Central Office	–	Noida (U.P.)

REGISTERED OFFICE

7, Intitutional Area,
SCOPE Complex, Core III,
Lodhi Road, New Delhi-110003

CENTRAL OFFICE

PDIL Bhawan (5th Floor),
A-14, Sector-1, NOIDA
Distt. Gautam Budh Nagar,
Uttar Pradesh -201301

AUDITORS

M/s. Ghosh Khanna & Co.,
Chartered Accountants, New Delhi

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

कानूनी सलाहकार

मैसर्स फाक्स एण्ड मंडल, एडवोकेट्स, कोलकाता

मैसर्स अंजली के. वर्मा एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली

मैसर्स अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नोएडा

मैसर्स दीवान एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, दिल्ली

मै. जी. जोशी एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली

मैसर्स के. आर. चावला एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, नई दिल्ली

मैसर्स सक्सेना एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, दिल्ली

BANKERS

State Bank of Patiala
State Bank of India
Union Bank of India
State Bank of Hyderabad

LEGAL ADVISERS

M/s. Fox & Mandal, Advocates, Kolkata

M/s. Ajnali K. Varma & Associates, Advocates, New Delhi

M/s. Arora & Associates, Advocates, NOIDA

M/s. Dewan & Co., Advocates, Delhi

M/s G. Joshi & Associates, Advocates, New Delhi

M/s K. R. Chawla & Co., Advocates, New Delhi

M/s. Saxena & Co, Advocates, Delhi

सूचना

यहाँ यह सूचित किया जाता है कि दि फर्टिलाइज़र कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के शेयरधारियों की 59वीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, दिसम्बर 14, 2015 को अपरान्ह 3.30 बजे, कान्फ्रेंस रूम, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में निम्नलिखित कार्य व्यापार के लिए आयोजित की जायेगी :-

1. ''31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा को ग्रहण एवं अंगीकृत करना।''

2. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पास करना :-

   ''भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी. ए. जी.) द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए पारिश्रमिक निगम के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जाने का संकल्प पारित करना''

बोर्ड के आदेश से

ह०/-

(सुशील पाल)

निदेशक (वित्त)

दिनांक : नवम्बर 20, 2015

टिप्पणी : प्रत्येक सदस्य बैठक में उपस्थित होकर अपना मत दे सकता है तथा अपने किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के लिए नियुक्त कर सकता है। प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का शेयरधारी होना आवश्यक नहीं है।

सेवार्थ,

सभी शेयरधारी

प्रतिलिपि :-

1. मैसर्स घोष खन्ना एण्ड कम्पनी,
   सनदी लेखाकार, एल-2ए,
   हौज खास एन्कलेव, नई दिल्ली-110016
2. अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति

NOTICE

Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting of the Shareholders of The Fertilizer Corporation of India Limited will be held on Monday, 14th December, 2015 at 3.30 PM at the Conference Room, Department of Fertilizers, Shashtri Bhawan, New Delhi - 110 001 to transact the following business:-

1. "To receive and adopt the Directors' Report to the Shareholders, the Balance Sheet and Profit and Loss Account along with the Auditors' Report for the year ended 31st March, 2015".

2. To consider, if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an ordinary resolution :-

   "Resolved that the remuneration would be payable to the Statutory Auditors to be appointed by the Comptroller & Auditor General of India (CAG) for the financial year 2015-2016 be fixed by the Board of Directors of the Corporation."

By Order of the Board

Sd/-

(Sushil Pal)

Director (Finance)

Dated : November 20, 2015

Note : A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself. A Proxy need not be a Shareholder of the Company.

To:

All Shareholders.

Copy to:-

1. M/s. Ghosh Khanna & Co.,
   Chartered Accountants, L-2A,
   Hauz Khas Enclave, New Delhi - 110016
2. Chairman, Audit Committee.

निदेशकों की रिपोर्ट

1.0 आपके निदेशक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लेखा परीक्षित लेखों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित निगम की 59वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

2.0 वित्तीय परिणाम

निगम को वर्ष 2013-14 के 0.06 करोड़ रुपये के निवल लाभ की तुलना में वर्ष 2014-2015 में 190.98 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ है।

3.0 वित्तीय स्त्रोत

3.1 शेयर पूंजी

एफ सी आई एल की अभिदत्त एवं प्रदत पूंजी 750.92 करोड़ रुपये है।

3.2 भारत सरकार के ऋण एवं भारत सरकार के ऋण पर ब्याज

सी.सी.ई.ए. के दिनांक 9.5.2013 की स्वीकृति के अनुसार, भारत सरकार के 2739.37 करोड रूपये के ऋण और भारत सरकार के ऋण पर ब्याज के 7904.47 करोड़ रूपये को वर्ष 2012-13 में माफ कर दिया गया है।

4.0 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

निगम ने वर्ष के दौरान सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, सीमाशुल्क, विद्युत शुल्क के रूप में केन्द्रीय एवं राज्य राजकोषों को 13.76 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

5.0 उत्पादन निष्पादन

एककों को वर्ष 2002 में बंद करने के संबंध में भारत सरकार

DIRECTORS' REPORT

1.0 Your Directors hereby present their 59th Annual Report of the Company together with the audited accounts and the auditors' report for the year ended 31st March 2015.

2.0 FINANCIAL RESULTS

The Company incurred a net Profit of Rs. 190.98 Crore in 2014-2015 as against a net profit of Rs. 0.06 crore during 2013-2014.

3.0 FINANCIAL RESOURCES

3.1 SHARE CAPITAL

The subscribed capital and paid up capital remains Rs.750.92 crore.

3.2 GOI LOAN & INTEREST ON GOI LOAN

As per the approval of CCEA dated 9.5.2013, Government of India Loan amounting to Rs. 2739.37 Crore and Interest on GOI Loan amounting to Rs. 7904.47 Crore have been written-off during the year 2012-13.

4.0 CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER

The Company made a contribution of Rs.13.76 crore by way of Service tax, Sales tax, Excise duty, Income tax, Customs duty, Electricity duty to the Central and State exchequers during the year.

5.0 PRODUCTION PERFORMANCE

There was no production of urea at any of

के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान किसी भी संयंत्र में यूरिया का उत्पादन नहीं हुआ है।

6.0 एककों की स्थिति

भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2002-03 में सभी एककों को बन्द करने के आदेश के कारण किसी भी एकक में उत्पादन नहीं हो रहा है तथा कार्यकलाप सुरक्षा व्यवस्था तथा कर्मचारियों की देयताओं के निपटान तक सीमित है। लेकिन सी.सी.ई.ए./कैबिनेट द्वारा एफ.सी.आई.एल. की बन्द इकाईयों को पुनरूज्जीवित करने के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार, वर्तमान में चार इकाइयों का पुनरूज्जीवन हो रहा है।

7.0 विपणन प्रचालन

निगम की सभी इकाइयों को बन्द करने के निर्णय तथा वर्ष के दौरान कोई भी उत्पादन न होने के कारण हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, रांची के विपणन कार्यालयों को बन्द कर दिया गया है और उन कार्यालयों की परिसम्पत्ति का निपटान कर दिया गया है अथवा अन्य कार्यालयों/एककों को भेज दिया गया है। वहाँ कोई विपणन गतिविधि नहीं है।

8.0 कम्पनी का पुनरूज्जीवन

बी.आई.एफ.आर. के दिनांक 2.4.2004 के आदेश के अनुसार कम्पनी को बन्द करने के संस्तुति के कारण देश में यूरिया की माँग व पूर्ति में भारी अंतर को देखते हुये और कम्पनी के सभी एककों में उपलब्ध विकसित आधारभूत संरचना को देखते हुए भारत सरकार ने यह अनुभव किया कि बन्द पड़े उर्वरक एककों को पुनरूज्जीवित करना आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने, जहाँ कि कम्पनी के मामले की सुनवाई हो रही थी, ने भारत

the plants during the year, due to the decision of the GOI for closure of the plants in the year 2002.

6.0 PLANT STATUS

Pursuant to the Govt's orders for closure of all units in 2002-03 (FY), there is no production in any of the units and activity are restricted to security arrangement and settlement of dues of employee. However, consequent upon the decision of CCEA/ cabinet, regarding revival of closed units of FCIL, four of the units are currently under revival.

7.0 MARKETING OPERATIONS

In view of decision for closure of all the fertilizer units of the Company and there being no production, marketing offices at Hyderabad, Bhubaneswar, Kolkata, Patna, Ranchi was closed and assets of these offices was disposed/ sent to other offices/ units. There is no marketing activity.

8.0 REVIVAL OF THE COMPANY

Consequent to the recommendation of winding-up of the company by BIFR vide order dated 02.04.2004, considering the large demand supply gap of Urea in the country, and the availability of fully developed infrastructure in all the units of the Company Government of India felt that it is essential to revive the closed fertilizer Units. The Hon'ble High Court of Delhi, where the

सरकार के निर्णय को सराहते हुये कहा कि बन्द पड़े खाद कारखानों के तकनीकी-आर्थिक संभावना का अध्ययन करवाया जाये। पी.डी.आई.एल. ने इस संबंध में अध्ययन करके अपनी संभावना रिपोर्ट दे दी थी जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11.08.2006 को संज्ञान में लिया था।

- पूर्णतः उपलब्ध विकसित भूमि, जल, विद्युत तथा सभी एकाकों में उपलब्ध विशाल आधारभूत संरचना को देखते हुये एवं इसके अतिरिक्त देश के अंदर यूरिया की भारी माँग को पूरा करने के लिये एवं आयात की भारी कीमत को देखते हुये भारत सरकार ने अप्रैल 2007 में यह निर्णय लिया:

  ''गैस की उपलब्धता की पुष्टि होने की स्थिति में ''सिद्धान्त रूप में'' निर्णय लिया कि एफ.सी.आई.एल. और एच.एफ.सी.एल. के पुनरूज्जीवन के संभाव्यता की जाँच की जाये।''

- भारत सरकार ने सितम्बर 2008 में यूरिया सैक्टर के लिये नई निवेश नीति को मंजूरी दी।

- भारत सरकार ने अक्टूबर 2008 में एफ.सी.आई.एल. /एच.एफ.सी.एल. के बन्द पड़े सभी एकाकों के पुनरूज्जीवन की सभी संभावनाओं को जाँचने के लिये और भारत सरकार के विचारार्थ उचित सुझाव देने के लिये सचिवों की अधिकारिक समिति (ई.सी.ओ.एस.) का गठन किया था।

पुनरूज्जीवन की प्रगति

इ.सी.ओ.एस. की 5.12.2008, 24.8.2009, 4.8.2010, 3.3.2011 और 23.01.2013 को बैठकें हुई। इ.सी.ओ.एस.

Company Case was being examined, was apprised of the decision of Government of India to conduct a techno-economic feasibility study of the closed fertilizer plants. PDIL studied and gave its feasibility report, which was taken in cognizance by High Court of Delhi on 11.08.2006.

- Considering the availability of fully developed land along with water & power connectivity, huge infrastructure in all the units, apart from increase in domestic demand of urea and high cost of import to meet the domestic demand, Government of India decided in April 2007 as under:

  "decided 'in principle' to examine the feasibility of reviving FCIL & HFCL, subject to the confirmed availability of gas."

- Government of India approved new Investment policy for the Urea Sector in September 2008.

- Government of India constituted Empowered Committee of Secretaries (ECOS) in October 2008 with the mandate of evaluate all options of revival of closed units of FCIL/HFCL and to make suitable recommendations for consideration of the Government.

Progress of Revival

The ECOS met on 5.12.2008, 24.8.2009, 4.8.2010, 3.3.2011 and 23.01.2013. The

की संस्तुति मे पुनरूज्जीवन प्रस्ताव पर विचार करना, जो वस्तुएं उपयोग में नहीं है पी.डी.आई.एल. के मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार उनके मूल्य का भुगतान करके, सरकारी उद्यमों से 'नामांकन आधार' पर प्राप्त करना तथा नई परियोजना में एफ.सी.आई.एल. को 11% इक्विटी देकर जिसके बदले में एफ.सी.आई.एल. रियायती अनुबंध के द्वारा भूमि के 'उपयोग का अधिकार' देगा और सभी उपयोग हो सकने योग्य परिसम्पत्तियों व आधारभूत संरचना पुनरूज्जीवित करने वाली सरकारी उद्यमों को हस्तांतरित करना सम्मिलित है।

पुनरूज्जीवित करने वाले सार्वजनिक उद्यम हैं-

इ.आई.एल. और एन.एफ.एल. – रामागुण्डम एकक के लिए

आर.सी.एफ., सी.आई.एल. और गेल – तलचर एकक के लिए

सेल और एन.एफ.एल. – सिन्दरी एकक के लिए

गोरखपुर और कोरबा एककों को बोली के माध्यम से पुनरूज्जीवित करने के संस्तुति दी गई है।

ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति

ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. ने पुनर्वास योजना प्रारूप (डी.आर.एस.) और पुनरूज्जीवन के अन्य पारामीटर को 4.8.2011 को अपनी स्वीकृति दे दी तथा इसे आगे कार्यान्वित करने के लिये ई.सी.ओ.एस. को प्राधिकृत किया है।

साथ ही ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. ने भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने के संबंध में 9.5.2013 को अपनी स्वीकृति दे दी है ताकि

recommendations of ECOS include considering the revival proposals received from PSUs on 'nomination basis' on payment of the value of unusable items as per the PDIL's valuation report and give FCIL 11% Equity in the new Project, for which FCIL will give 'right to use' of land through a Concessionaire Agreement and hand-over all usable assets & infrastructure to the reviving PSUs.

The Reviving PSUs are:

EIL & NFL - for Ramagundam Unit

RCF, CIL & GAIL - for Talcher unit

SAIL & NFL - for Sindri unit

Gorakhpur and Korba units were recommended to be revived through biding route.

CCEA Approval of ECOS recommendation

On the recommendations of ECOS, CCEA approved on 4.8.2011 the Draft Rehabilitation Scheme (DRS) and the other parameters of revival and authorized ECOS for taking forward the implementation process.

Subsequently, on the recommendations of ECOS, CCEA approved on 9.5.2013 the waiver of GoI loan and interest to make FCIL a positive

निवल पूँजी को धनात्मक बनाया जा सके जिससे सी.सी.ई.ए. की पूर्व स्वीकृति के अनुसार कम्पनी को पुनरूजीवित किया जा सके।

बी.आई.एफ.आर. की परिसीमा से बाहर

कम्पनी के वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखों को बन्द करते समय सी.सी.ई.ए. के निर्णयों को लागू किया गया था। वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा की हुई प्रति और लेखा परीक्षकों का धनात्मक निवल पूँजी का प्रमाण पत्र बी.आई.एफ.आर. को प्रेषित किया गया था। बी.आई.एफ.आर. ने 27.6.2013 को सुनवाई में एफ.सी.आई.एल. को बी.आई.एफ.आर. की परिसीमा से बाहर करने का आदेश दिया है।

पुनरूज्जीवन की वर्तमान स्थिति

तलचर

1. आर.सी.एफ. ने अमोनिया और यूरिया प्लांटों के लिए एल.एस.टी.के. के निविदा को अन्तिम रूप देने के लिए पी.डी.आई.एल. को नियुक्त किया है। गेल द्वारा कोल गैसीफिकेशन तकनीक को चुनने के कारण अन्तिम रूप देने का कार्य रूका हुआ है।
2. गेल ने कोल गैसीफिकेशन तकनीक के चुनाव को अंतिम रूप देने के लिए पी.डी.आई.एल. को नियुक्त किया है। गेल को पी.डी.आई.एल. की संस्तुति प्राप्त हो गयी है।
3. आर.सी.एफ. ने पार्यावरण एवं वन मंत्रालय से तलचर में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना लगाने के लिये टी.ओ.आर. अनुमति प्राप्त कर ली है। ई.आई.ए. और ई.एम.पी. अध्ययन प्रगति में है।
4. कोयला मंत्रालय ने परियोजना के लिये अपने खदानों से आबाध कोयले की पूर्ति करने के लिये कोल ब्लाक के आबंटन का प्रस्ताव दिया है।

net worth Company to enable the revival as approved by CCEA earlier.

Deregistration from BIFR

While closing the Annual Account of the Company for the year 2012-13, the decisions of CCEA were implemented. The audited copy of the Annual Accounts of 2012-13 along with certificate of positive net worth from the Auditors was submitted to BIFR. The Hon'ble BIFR in their hearing held on 27.6.2013 ordered for deregistration of FCIL from BIFR.

Present Status of revival

Talcher

1. RCF has engaged PDIL for finalization of LSTK tenders for Ammonia & Urea. Finalisation is held up for selection of coal gasification technology by GAIL.
2. GAIL has engaged PDIL for finalizing the selection of coal gasification technology. Recommendation of PDIL has been received by GAIL.
3. RCF has obtained TOR clearance from MoEF for the coal based fertilizer plant at Talcher. EIA & EMP studies are in progress.
4. Ministry of Coal proposed that coal block allocation to the Project would facilitate uninterrupted coal supply to the project from its Captive Mines.

5. संयुक्त उद्यम के पंजीकरण का कार्य प्रगति में है।

रामागुण्डम

1. ई.आई.एल. और एन.एफ.एल. अमोनिया और यूरिया के लिये तकनीक के चयन को अन्तिम रूप देने में प्रयासरत हैं।
2. ई.आई.एल. ने परियोजना से पूर्व की गतिविधियों के अतिरिक्त एम.ओ.ई.एफ. से टी.ओ.आर. अनुमति प्राप्त कर ली है। ई.आई.ए. और ई.एम.पी. अध्ययन पूरा हो गया है तथा सार्वजनिक सुनवाई 11.3.2015 को हो चुकी है।
3. एन.एफ.एल., ई.आई.एल. और एफ.सी.आई.एल. का संयुक्त उद्यम ''रामागुण्डम फर्टिलाईजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड'' के नाम से 17.2.2015 को निगमित हो गया है।
4. परियोजना को लगाने का कार्य ई.आई.एल. द्वारा ई.पी.सी. आधार पर किया जायेगा और प्लांट के प्रचालन का कार्य एन.एफ.एल. द्वारा किया जायेगा।

गोरखपुर

1. गोरखपुर एकक को मंत्रिमंडल ने 31.3.2015 को 'बिडिंग रूट' से पुनरूजीवन करने की स्वीकृति दे दी है और पुनरूजीवन की प्रगति के निगरानी के लिये एक शक्तिशाली समिति (ई.सी.) का गठन किया है।

सिन्दरी

1. सिन्दरी के पुनरूजीवन में सेल द्वारा अनिच्छा दिखाने के कारण मंत्रिमंडल ने 21.5.2015 को सिन्दरी एकक के पुनरूजीवन के लिए 'बिडिंग रूट' से सिन्दरी में इस कार्य के लिये चिन्हित 500-600 एकड़ भूमि में फर्टिलाइजर प्लांट लगाने की स्वीकृति दे दी है।

5. Registration of a JV company is under process.

Ramagundam

1. EIL & NFL are in the process of finalizing the Technology for Ammonia & Urea.
2. Apart from other pre-project activities, EIL has obtained for clearance of ToR from MoEF. EIA & EMP studies are over and public hearing was held on 11.03.2015.
3. The Joint Venture amongst NFL, EIL & FCIL was incorporated on 17.02.2015 in the name of "Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited".
4. Construction of the Project would be taken up by EIL on EPC basis and operation of the Plant would be taken up by NFL.

Gorakhpur

1. Cabinet on 31.3.2015 approved revival of Gorakhpur Unit through 'bidding route' and constituted an Empowered Committee (EC) to monitor the progress of revival.

Sindri

1. Consequent to SAIL's disinterest in the revival of Sindri Unit, Cabinet on 21.5.2015 approved revival of Sindri unit through 'bidding route' for setting up a Fertilizer plant on 500-600 Acres of identified land at Sindri for the purpose.

9.0 सतर्कता विभाग - वर्ष 2014-2015 में इसकी गतिविधियाँ तथा उपलब्धियाँ

सतर्कता विभाग को प्रबंधन के कार्यकलाप का अभिन्न भाग माना जाता है। मेजर विक्रम सिंह राणा, निदेशक (गतिविधि), उर्वरक विभाग, एफ.सी.आई.एल. के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। वे कम्पनी में उपलब्ध सीमित कर्मचारियों के माध्यम से सतर्कता के मामले में निदेशन, सुझाव एवं पर्यवेक्षण प्रदान करते हैं। विभाग सामान्य प्रशासन में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करता है तथा एफ.सी.आई.एल. में कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये विभिन्न रोकथाम के उपाय करता है तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह को मनाने का कार्य करता है।

10.0 कार्यालय की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

सरकार द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी आदेशों एवं अन्य सभी निदेशों तथा वार्षिक कार्यक्रम का निगम में पूरी तरह से पालन किया जाता है। लेकिन कंपनी के बंद हो जाने के कारण ये गतिविधियां सीमित हो गई हैं।

11.0 औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन, कल्याण, सुरक्षा तथा भागग्रही प्रबंधन आदि

11.1 31.3.2015 को कर्मचारियों की संख्या 13 है। ये कर्मचारी निगम की सम्पत्ति की सुरक्षा और रखवाली और सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए रखे गये हैं। सभी इकाइयों के बंद हो जाने के कारण जोखिम एवं ज्वलनशील वस्तुओं के संबंध में सुरक्षा नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन उचित स्तर तक हुआ है।

9.0 VIGILANCE DEPARTMENT - ITS ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS FOR THE YEAR 2014-15

The vigilance department is considered to be an integral part of the Management function. Major Vikram Singh Rana, Director (Movement), Department of Fertilizers is holding the additional charge of Chief Vigilance Officer of FCIL. He provides direction, guidance and supervision over the vigilance efforts of the company with meagre staff available on the rolls of the company. The department assists in maintaining the transparency and integrity in general administration and in increasing the efficiency in FCIL through various preventive measures and by observing vigilance awareness week.

10.0 USE OF HINDI AS OFFICIAL LANGUAGE

The Company complies with annual programme and instructions and all other directives issued by the Government regarding progressive use of Hindi. However due to closure of the company, these activities are kept limited.

11.0 INDUSTRIAL RELATIONS, HUMAN RESOURCE, WELFARE, SAFETY, PARTICIPATIVE MANAGEMENT ETC.

11.1 The staff strength as on 31.3.2015 is 13 . The employees are retained on the rolls to look after the safety and security of the properties of the Company and to discharge statutory obligations of the Company. Due to the closure of all Units, safety rules and procedures were followed to a limited applicable extent while dealing with hazardous and inflammable materials.

12.0 अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का नियोजन

अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पदों के आरक्षण से संबंधित सरकार के निदेशों को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष के दौरान कोई भर्ती नहीं की गयी है।

13.0 ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम

भारत सरकार के कम्पनी के प्रचालन को बंद करने के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण संबंधी उपाय करने का कोई अभिप्राय नहीं था। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य रहा है।

14.0 सांविधिक लेखा परीक्षक

आपकी कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिये मै. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी को संविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था।

15.0 सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये कम्पनी के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों ने रिपोर्ट दे दी है।

16.0 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

12.0 EMPLOYMENT OF SCs / STs, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS

Government's directives with regard to reservation of posts for SCs /STs /Ex-servicemen, including physically handicapped, were kept in view. However, no recruitment has been made during the year.

13.0 ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUT GO.

In view of Government's decision for closure of the operation of the Company there was no scope to take up any measures for energy conservation, technology absorption during the year. Foreign Exchange earning was nil during the year.

14.0 STATUTORY AUDITORS

The statutory auditors of your company are appointed by the Comptroller and Auditor General of India. M/s Ghosh Khanna & Company were appointed as statutory auditors for the financial year 2014-15.

15.0 MANAGEMENT COMMENTS ON STATUTORY AUDITORS REPORT

The statutory auditors of the company have given a report on the accounts of the company for the financial year 2014-15.

16.0 REVIEW OF ACCOUNTS BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

Accounts has been submitted to Comptroller and Auditor General of India,

को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किये गये हैं। वर्ष 2014-15 के लिये सी.ए.जी. की टिप्पणी अलग से संलग्न की जा रही है।

17.0 निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरणिका

17.1 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसार निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण के संबंध में यहाँ यह पुष्टि की जाती है कि-

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा किसी विभिन्नता की स्थिति में उचित स्पष्टीकरण दिये गये हैं।

निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं जो कि युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों का विचाराधीन वर्ष के लिये कंपनी के लाभ-हानि लेखे का सही एवं औचित्यपूर्ण विवरण देते हैं।

कम्पनी की परिसम्पत्ति के सुरक्षा के लिए और छल एवं अनियमितताओं को पकड़ने एवं रोकथाम के लिए निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार लेखों के पर्याप्त रिकार्ड को रखनें में उचित एवं पूरी सावधानी बरती है।

वित्त वर्ष 2014-15 के लेखों को ''चालू उद्यम'' के आधार पर बनाया गया है।

for review under Sec. 143(6)(b) of the Companies Act 2013. Comments of CAG for the year 2014-15 is placed seperately.

17.0 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

17.1 Pursuant to the requirement under section 217(2AA) of the Companies Act 1956, with respect to Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirmed:

That in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March 2015; the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.

That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit or loss of the company for the year under review.

That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act 1956, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

The accounts for the financial year 2014-15 have been prepared on "Going Concern" basis.

18.0 निदेशक मंडल

	से	तक
1. श्री सुशील कुमार लोहानी, अ.प्र.नि., आई.ए.एस. (डी.आई.एन.-06912948)	1.7.2014	अब तक
2. श्री सतीश चन्द्रा, अ.प्र.नि. (डी.आई.एन.-01970013)	12.7.2012	1.7.2014
3. श्री सुशील पाल निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-06608642)	18.7.2013	अब तक
4. श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक (डी.आई.एन.-06386038)	27.8.2012	अब तक
5. श्री एस. आनंदन, निदेशक (डी.आई.एन.-03599697)	8.8.2011	अब तक

18.1 वित्तीय वर्ष 2014-15 में निदेशक मंडल की 6 तथा लेखा परीक्षा समिति की 3 बैठकें हुई। निदेशकों ने कितनी बैठकों में भाग लिया इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

नाम	**निदेशक मंडल की बैठकें**	**लेखा परीक्षा समिति की बैठकें**
1. श्री सुशील कुमार लोहानी (डी.आई.एन.-06912948)	5	-
2. श्री सतीश चन्द्रा (डी.आई.एन.-01970013)	1	-
3. श्री एस. आनंदन (डी.आई.एन.-03599697)	6	3
4. श्री सुशील पाल (डी.आई.एन.-06608642)	6	3
5. श्री विजय रंजन सिंह (डी.आई.एन.-06386038)	4	3

18.0 BOARD OF DIRECTORS

	From	To
1. Shri Sushil Kumar Lohani, C&MD, IAS (DIN-06912948)	1.7.2014	Till date
2. Shri Satish Chandra, C & MD (DIN- 01970013)	12.07.2012	01.07.2014
3. Shri Sushil Pal, Director (Finance) (DIN-06608642)	18.07.2013	Till date
4. Shri Vijay Ranjan Singh, Director (DIN- 06386038)	27.08.2012	Till date
5. Shri S Anandan, Director (DIN- 03599697)	08.08.2011	Till date

18.1 There were 6 meetings of Board of Directors and 3 meetings of Audit Committee during the financial year 2014-15. The details of meetings that the Directors have attended are given below:

Name	**Board Meetings**	**Audit Committee Meetings**
1. Shri Sushil Kumar Lohani (DIN-06912948)	5	–
2. Shri Satish Chandra (DIN-01970013)	1	–
3. Shri S. Anandan (DIN-03599697)	6	3
4. Shri Sushil Pal (DIN-06608642)	6	3
5. Shri Vijay Ranjan Singh (DIN-06386038)	4	3

19.0 लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन के फलस्वरूप अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु एक नयी धारा 292 क "लेखा परीक्षा समिति" जोड़ दी गयी है। यद्यपि एफ.सी.आई.एल. के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के कारण यह प्रावधान इस पर लागू नहीं होता तथापि अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु निदेशक मंडल ने 23.08.2013 को लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है जिसके निम्नलिखित निदेशक सदस्य हैं :

1. श्री एस. आनंदन, निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री सुशील पाल, निदेशक (वित्त) – सदस्य
3. श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक – सदस्य

20.0 आभार प्रदर्शन

निदेशक, वर्ष के दौरान कर्मचारियों को, उनकी सेवाओं के लिये, सराहना करते हैं। निदेशक विभिन्न मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों तथा विशेष रूप से उर्वरक विभाग के सचिव तथा विभाग के अन्य अधिकारियों को उनके निदेशन, सहयोग तथा सहायता के लिये सादर आभारी हैं।

निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा निगम के कर्मचारियों को उनके बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह०/–

(सुशील पाल)

निदेशक (वित्त)

(डीआईएन–06608642)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 15.09.2015

19.0 AUDIT COMMITTEE

In the amended Companies Act 1956, a new section 292A i.e. "Audit Committee" has been inserted, as a measure for better corporate governance. Though the said provision is not applicable in case of FCIL being Private Limited Company, for better corporate governance, Audit Committee has been reconstituted by the Board on 23.08.2013 comprising of the following Directors:

1. Shri S. Anandan, Director - Chairman
2. Shri Sushil Pal, Director (Fin). - Member
3. Shri Vijay Ranjan Singh, Director - Member

20.0 ACKNOWLEDGEMENTS

The Directors place on record their appreciation for the services of the employees during the year. The Directors gratefully acknowledge the support received from the various Ministries and Departments of the Government of India and State Governments and in particular the Secretary, Department of Fertilizers and other officers of the Department for their guidance, cooperation and support.

The Directors also place on record their sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, Statutory Auditors and to the employees of the Company for their valued cooperation and support.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(Sushil Pal)

Director (Finance)

(DIN-06608642)

Place : New Delhi

Dated : 15.09.2015

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट - I
ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT - I
सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ (सांविधिक लेखा परीक्षकों की दिनांक 12.10.2015 की रिपोर्ट के संदर्भ में) तथा कम्पनी के स्पष्टीकरण
Comments of Statutory Auditors (Reference Statutory Auditors' Report Dated 12.10.2015) and Explanations of the Company.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
1. **वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट**	
हमनें दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणिका जिसमें 31 मार्च 2015 तक के तुलन पत्र, लाभ हानि विवरणिका और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरणिका और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।	यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
2. Report on the Financial Statements	
We have audited the accompanying financial statements of M/s The Fertilizer Corporation of India Limited ('the Company'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015 and the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.	These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.
2. **वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व**	
इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है जो कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134 (5) में वर्णित भारत में सामान्यत: मान्य लेखा सिद्वातों के अनुरूप हो जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह पर सत्य और निष्पक्ष मत को दर्शाता है तथा अधिनियम की धारा 133 में वर्णित लेखा मानकों के	यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

अन्तर्गत कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उत्तरदयित्व में सम्मिलित हैं, पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रख-रखाव, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा पता लगाना, उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करना, निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि उचित और विवेकापूर्ण हों, डिजाइन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और अनुरक्षण प्रभावी ढंग से प्रचालन, सही और पूरी तरह से लेखा रिकार्ड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना जो कि सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हों और जो छोटी सी भी गलत बयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, से मुक्त हों।

2. Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. **लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधाार पर वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

प्रबंधन का स्पष्टीकरण: यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और जो बातें अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित करना अपेक्षित था, का पालन किया है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (10) में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानको में यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा इस प्रकार से करें कि एक उचित सीमा तक इस बात की संतुष्टि हो सके कि ये वित्तीय विवरण किसी प्रकार की गलतबयानी से मुक्त हैं ।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया में धनराशियों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य और वित्तीय विवरणों को उजागर करना होता है। जिन प्रक्रियाओं का चयन किया जाता है वे लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के बारे में बड़ी गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन चाहे वह कपट पूर्ण हो अथवा गलती से हो, शामिल होता है। इस प्रकार के जोखिमों का आंकलन करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करने के लिये कंपनी के आन्तरिक नियंत्रणों को

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

ध्यान में रखते हुये लेखापरीक्षा प्रक्रिया के डिजाइन का निर्धारण करता है जो उन परिस्थितियों में उचित होता है। लेकिन अपना मत व्यक्त करने के लिये नहीं। उस पर कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग करने के लिये पूरी तरह से आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रण के प्रचालन के प्रभाव के बारे में कि लेखापरीक्षा कार्य में कंपनी के निदेशकों द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

हमारे मत में और हमें दी गयी उचित जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार संलग्न वित्तीय विवरण अधिनियम में यथा अपेक्षित सूचनाएं प्रदान करते हैं और भारत में प्राय: अपनाये जाने वाले लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार निम्नलिखित के संबंध में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं :

3. Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Reply of the Management: These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां **A.Q.No. Comments on**	प्रबंधन के स्पष्टीकरण **Reply of the Management**

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(क) 31 मार्च, 2015 को कम्पनी के कार्यकलापों की वस्तुस्थिति को दर्शाने वाला तुलन-पत्र।

(a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2015 and

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
(ख) लाभ-हानि के विवरण के संबंध में उसी तिथि को समाप्त हुए 12 महीनों के लिए लाभ के संबंध में।	
(b) In the case of the Profit and Loss Statement, of the Profit for the year ended on that date.	
(ग) नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के नकदी प्रवाह का।	
(c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.	
4. **अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**	
जैसे कि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2015 में अपेक्षित है, भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार हम इस संबंध में नीचे विवरण दे रहे हैं। हम कंपनी अधिनियम 2015 की धारा 143 (5) का अनुपालन करते हुए अनुलग्नक क तथा ख संलग्न कर रहे हैं।	यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
4. Report on Other Legal and Regulatory Requirements	
As required by Companies (Auditors' Report) Order, 2015, issued by the Central Government in terms of section 143(11) of the act, we give a statement on the matters specified given below. We also enclosed compliance of section 143 (5) of the Companies Act, 2015 (Annexure-A & B)	This is a reporting requirements for the Auditors under CARO (Companies Auditors' Report Amendment Order). No reply is called for in this Para.
i.क. निगम ने निपटान के लिये रखी परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरों सहित पूर्ण	

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
विवरण दर्शाते हुये उचित ब्यौरा रखा है । केवल कुछ एककों/प्रभाग को छोड़ कर, जहाँ कुछ मदों, ब्यौरों, अवस्थापन तथा मात्रात्मक विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया है या सही अवस्थापनों को नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ एककों/प्रभाग के स्थायी परिसम्पत्तियों के रिकार्ड समय-समय पर लेखांकित नहीं हुआ है।	
i. a. The Corporation has generally maintained proper records to show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets including retired assets held for disposal except in some units/divisions where for some items particulars, locations and quantitative details have not been mentioned or correct locations are not stated. Further, in some units/divisions fixed asset records are not updated.	
i.ख. स्थायी परिसम्पत्तियों और उन परिसम्पत्तियों का जो उपयोग में नहीं हैं और निपटान के लिये हैं, का भौतिक सत्यापन सभी एकको का नहीं किया गया है। हम विसंगतियों पर, यदि कोई हों तो और लेखों पर उनका प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	केन्द्रीय कार्यालय और गोरखपुर एकक का भौतिक सत्यापन वर्ष 2014-15 में किया गया है। हमने रामागुण्डम और तलचर में परिसम्पत्तियों और वस्तुसूचियों की बिक्री ई-आक्श्न से एम.एस.टी.सी. के माधयम से किया है। सिन्दरी और कोरबा में परिसम्पत्तियों तथा स्टोर्स एवं स्पेयर्स की सुरक्षा के लिये गोदामों को सील करके और डी.जी.आर द्वारा प्रायोजित सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त कर उचित कदम उठाये गये हैं।
i.b. The physical verification of fixed assets including assets retired from active use held for disposal has not been carried out for all the units. We are unable to comment on any discrepancies, if any, and its treatment in accounts.	The physical verification of assets was carried out in the year 2014-15 of Central Office and Gorakhpur Unit. However, we have sold the unusable assets and inventory of Ramagundam and Talchar Units by e-auctioning rout through MSTC. At Sindri and Korba adequate steps have been taken to safeguard the assets and stores and spares by sealing the go-downs and by engaging DGR sponsored security personnel for security of these assets. However, physical verification of the remaining Units will be conducted during 2015-16.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
ii.क. वर्ष के अंतर्गत वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।	भारत सरकार का निर्णय प्राप्त होने के पश्चात कम्पनी के सभी एककों को बन्द कर दिया गया है और वस्तुसूचियों का स्थांतरण अथवा घटत/बढ़त अथवा स्थान एवं मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
ii. a. The physical verification of inventory was not conducted during the year.	After the closure of all Units of the company, on receipt of the decision of GoI to that effect, there was no movement of inventory or any addition/ deletion to the inventory/assets have taken place or even change in the location and quantity effected.
ii.ख. निगम ने वस्तुसूचियों का उचित रिकार्ड रखा है। वस्तुसूचियों के भौतिक सत्यापन के अभाव में, विसंगतियों पर, यदि कोई हो तो, और लेखों पर उनके प्रभाव के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	उपर्युक्त टिप्पणी सं. 4 (i)(ख) से 4 (ii) (ख) पर स्पष्टीकरण उसके सामने दिया गया है।
ii. b. The Corporation is maintaining proper records of inventory. In the absence of any physical verification for the inventory we are unable to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in accounts.	The replies are given against Comments as at No. 4 (i) b to 4 (ii) b above.
iii. संरक्षित रजिस्टर में वर्णित अधिनियम की धारा 189 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म या पार्टी को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। इस प्रकार आदेश के (क), (ख) खंड लागू नहीं होते है।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
iii. The Company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Act. Consequently, clauses (a), (b), of the order are not applicable.	Remarks of the auditors in their report, is self explanatory and therefore no replies are called for.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on		प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
iv.	इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निगम में सीमित कर्मचारी ही बचे है, वस्तुसूचियों व स्थायी परिसम्पत्तियों को खरीदने और वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं के संबंधमें आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया के विषय में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	हमने वर्ष में कोई वस्तुसूची नहीं खरीदी है। हमने पुनरूजीवन गतिविधियों के कारण आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुये और आवश्यक कोटेशन मँगा कर कम्प्यूटर और एयर कन्डीशनर खरीदे हैं।
iv.	In view of the fact that only a few employees are left in the Corporation. We are unable to comment on the internal control system for the purchase of inventory and fixed assets and for the sale of goods and services.	We have not purchased any inventory during the year. We have purchased computers and Air conditions due to the ongoing revival activities after following necessary procedures and obtaining the necessary quotations.
v.	निगम ने कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है जसमें कंपनी अधिनियम 2015 की धारा 73 से 76 के प्रावधान लागू होते है।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
v.	The company has not accepted any deposits to which the provisions of Sections 73 to 76 of the Companies Act, 2015 are applicable.	Remarks of the auditors in their report, is self explanatory and therefore no replies are required.
vi.	केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखना आवश्यक किया हुआ है । हमें बताया गया है कि निगम को बंद करने के आदेश के कारण निगम ने वर्ष 2003 में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निगम को इस प्रकार के रिकार्ड रखनें से छूट देने के लिये आवेदन किया है। अभी तक इस संबंध में अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि उत्पादन गतिविधि यां बंद कर दी गयी हैं, लागत रिकार्ड नहीं बनाया गया है और न ही अनुरक्षित किया गया है ।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
vi.	Cost records have been prescribed by the Central Govt. under Section 148(1) of the Companies Act 2013. We are informed that the Corporation has moved	Remarks of the auditors in their report, is self explanatory and therefore no replies are required.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
an application in the year 2003 to the competent authority for exempting the Corporation for maintaining such records in view of the order of the Corporation. However such permission has not yet been received. Since the production activities have been closed, no cost records have been made and maintained.	
vii. निगम अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, ई.एस.आई., आयकर, बिक्री कर, सेवा कर आदि को जमा करने में सामान्यत: नियमित रही है । हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2015 को सिंदरी में सेवा कर के 12. 03 लाख रूपयों को लेखों में नहीं लिया गया है तथा टीडीएस के 0.40 लाख रूपये तलचर एकक में और 0.34 लाख रूपये गोरखपुर एकक मे नहीं काटे गये हैं। इन्हे छोड़कर देयता की कोई अविवादास्पद राशि आयकर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयता के संबंध में जिस तिथि से देय हुये हैं, छ: महीने से अधिक समय तक बकाया नही रहे हैं। बिक्री कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर से संबंधित विवादास्पद राशि जो कि जमा नहीं किये गये हैं के संबंध में जानकारी इस रिपोर्ट के साथ संलग्नक के रूप में उपलब्ध है और जो कि प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण पर आधारित है।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा नियोजक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि हस्तांतरित नहीं करनी है।

vii. The Corporation has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, ESI, Income Tax, Sales Tax, Service Tax etc. according to information and explanations given to us, no undisputed amount payable in respect of Income Tax, Wealth Tax, Sales Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other statutory dues, were outstanding as on 31st March, 2015 for a period of more than six months from the date they become payable except Service Tax Rs. 12.03 Lakh at Sindri Unit not taken in the books and Tax deducted at source Rs. 0.40 Lakh at Talchar Unit, Rs. 0.34 Lakh for Gorakhpur Unit not deducted.

In respect of disputed amounts not deposited on account of Sales Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty and Cess, the required information is provided by way of an annexure to this report and which forms an integral part hereof and which is based on the necessary information and explanations provided by the management.

There are no amounts required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 and the rules made there under.

Reply of the Management (vii): Remarks of the auditors in their report, is self explanatory and therefore no replies are required.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on		प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
viii.	कंपनी को 31 मार्च, 2015 तक संचित हानि उसके निवल पूँजी से पचास प्रतिशत से कम नहीं है और इसने इसी तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिये या उससे पिछले वित्त वर्ष में नकद हानि हुई है।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
viii.	The company has accumulated losses as at March 31, 2015 are not less than fifty percent of its net worth and it has incurred cash losses in the financial year ended on that date or in the immediately preceding financial year.	Remarks of the auditors in their report, is self explanatory and therefore no replies are required.
ix.	तुलन पत्र के तिथि तक कंपनी के रिकार्ड के अनुसार जिसे हमने जांचा है और जो सूचनाएं व जानकारी हमें दी गयी हैं, उसके अनुसार कंपनी किसी भी वित्तीय संस्था या बैंक या डिबैन्चर धारकों के देयताओं के पुनर्भुगतान करने में बकायादार नहीं रही है।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
ix.	According to the records of the company examined by us and the information and explanations given to us, the company has not defaulted in repayment of dues to any financial institution or bank or debenture holders as at the balance sheet date.	Remarks of the auditors in their report, is self explanatory and therefore no replies are required.
x.	हमारे मत में तथा हमें दी गयी सूचनाओं एवं जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष में अन्यों द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर कंपनी ने कोई गारंटी नही दी है।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
x.	In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions during the year.	Remarks of the auditors in their report, is self explanatory and therefore no replies are required.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
xi. कंपनी ने मियादी ऋण नहीं लिया है।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
xi. The company has not obtained any terms loans.	Remarks of the auditors in their report, is self explanatory and therefore no replies are required.
xii. भारत में सामान्यतः मान्य लेखा परीक्षा पद्धति के अनुसार और हमें दी गयी सूचना एवं जानकारी के अनुसार लेखों और कंपनी के रिकार्ड का किये गये जॉच के दौरान वर्ष में कंपनी पर या उसके द्वारा किसी प्रकार के कपट की घटना हमारे सामने नहीं आयी है और न तो नोटिस किया या रिपोर्ट किया गया न ही हमें इस तरह के मामले की सूचना प्रबंधन द्वारा दी गयी है।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
xii. During the course of our examination of the books and records of the company, carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India, and according to the information and explanations given to us, we have neither come across any instance of fraud on or by the company, noticed or reported during the year, not have we been informed of such case by the management.	Remarks of the auditors in their report, is self explanatory and therefore no replies are required.
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार हम बताना चाहते हैं कि-	
2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:	
2.क. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक सभी सूचनाऍं एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है।	कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) के अनुसार (क) से (घ) तक लेखा परीक्षकों द्वारा दिया गया प्रकटन है। इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
2.a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.	(a) to (d) are the disclosure given by the Auditors as required by the Section 143(3) of the Companies Act, 2013. No reply is called for.
2.ख. हमारी राय में, जैसा कि हमें उन बहियों के जॉंच के दौरान दिखता है, निगम ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है ।	
2.b. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books;	
2.ग. इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।	
2.c. The Balance Sheet, Statement of Profit & Loss and cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;	
2.घ. हमारी राय में ये लेखे अधिनियम की धारा 133 में संदर्भित, इसे कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े, लागू लेखा मानक के अनुसार बनाये गये हैं, केवल इन्हे छोड़ कर-	
2.d. In our opinion, these accounts have been prepared in compliance with the applicable accounting standards referred to in Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 except	
2.(घ).i. लेखा मानक-2 'वस्तुसूचियों का मूल्यांकन' ए एस-2 के अनुसार नहीं किया गया है । कच्चा माल और स्टोर्स	भारत सरकार के निर्णय के अनुसार वर्ष 2002-03 में कम्पनी में प्रचालन बन्द हो जाने के कारण कम्पनी को, जैसा कि

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
एण्ड स्पेयर्स की वस्तुसूचियों का मूल्यांकन लगभग 25 प्रतिशत की लागत पर किया गया है तथा तैयार माल, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट, उपभोज्य भंडार, पेन्ट और ल्यूब्रीकेन्ट, मैडिकल स्टोर्स का 100 प्रतिशत का प्रावधान निवल वसूली योग्य मूल्य सुनिश्चित किये बिना किया गया है।	'महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ' के पैरा ए-VI में स्पष्ट किया गया है, एक नीति को अंगीकृत करना पड़ा। कम्पनी को विशेष परिस्थितियों में बन्द करने और मशीनों के लम्बी अवधि तक निष्क्रिय रहने और मशीनरी स्पेयर्स के अप्रचलन में रहने के कारण ए एस-2 का सही अर्थों में पालन नही हुआ है।
2.(d).i. Accounting Standard '2' Valuation of inventories to the extent that the inventory have not been valued in accordance with the AS-2. The Inventory of raw material, stores & spares have been valued at approximately 25% of the cost and 100% provision without ascertaining the net realizable value of the inventories has taken for finished goods packing materials, chemicals catalyst, consumable stores, lubricants, medical stores.	Due to the closure of operations of the Company in the year 2002-2003, following the decision of GoI, the Company had to adopt a policy as explained under "Significant Accounting Policies" at para A VI, due to the extraneous circumstances of the Company, consquent to the closure and very long period of idleness of machinery and the obsolescence of machinary and spares. Hence, AS-2 could not be followed in true spirit.
उपर्युक्त व्यवहार का कमी/बढ़त के प्रावधान के कारण घाटे में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	
The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on loss and other related accounts could not be ascertained.	
चालू वर्ष में वस्तुसूचियों के अप्रचलन/कमियों से हानि, यदि कोई हो तो, जैसा कि हमें सूचित किया गया है, एककों में वस्तुसूची गोदाम पूरे वर्ष सील रहे हैं और उनका न तो भौतिक सत्यापन हुआ है और न ही उनका वसूली योग्य मूल्य अभिनिश्चित हुआ है और मूल्यांकन पिछले वर्ष के आधार पर लिया गया है जो कि बाजार भाव/भौतिक उपलब्धि को ध्यान में रखे बिना किया गया है।	

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

Loss, if any, on obsolescence/shortage of inventories during the year. As per information provided inventory godowns at the units remained sealed throughout the year and neither their physical status verified nor their realizable value is ascertained during the year and the valuation has been adopted as it was in previous year without considering their market value/ physical availability.

2.(घ).ii. लेखा मानक-15 "कर्मचारी हित लाभ" ए एस -15 के अनुसार नहीं दिया गया है यद्यपि कम्पनी वास्तविक आधार पर प्रावधान कर रही है ।

नियोक्ता के वित्तीय विवरण में सेवानिवृति लाभ के लेखों से संबंधित मानक। कम्पनी द्वारा प्रदत्त कर्मचारी लाभ इस प्रकार हैं:-

क. लघु अवधि कर्मचारी लाभ

लघु अवधि कर्मचारी लाभ में वेतन, भत्ते, अस्वस्थता अवकाश की देयता, वार्षिक अवकाश की देयता, आर्थिक लाभ जैसे कि मैडिकल मामले तथा आर्थिक लाभ के अलावा जैसे कि मकान को लाभ-हानि लेखों में वर्तमान खर्चे में लिया जाता है।

ख. दीर्घ अवधि सेवानिवृत्ति लाभ

सेवा निवृत्ति के पश्चात लाभ की देयता जैसे कि आनुतोषिक निधि में अंशदान, भविष्य निधि और संचित अवकाश का नकदीकरण के लिये प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और लाभ-हानि लेखों में लिया जाता है।

2.(d).ii. Accounting Standard '15' 'Employees Benefits' to the extent that disclosure in compliance with AS- 15 is not given. Although the Corporation is making the provisions on actual basis.

The standard deals with accounting for retairement benefits in the financial statements of employers. Employee benefit extended by the Company are as follows:-

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
	(a) Short Term Employee Benefit Short term employee benefit such as salary, wages, paid sick leave, paid annual leaves, monitory benefits such as medical cases and non-monitory benefits like houses are charged to profit & loss accounts as current expenditure. **(b) Long Term Retirement Benefit** The liability towards post retirement benefit i.e. contribution towards Gratuity Fund, Provident Fund and provision for encashment of accumulated leave are made on actual basis and charged to profit & loss accounts.
2.(घ).iii.'परिसम्पत्ति में छति' के संबंध में लेखा मानक-28 छति की हानि, बहीमूल्य का 95 प्रतिशत तथा शेष बही मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कबाड़/वसूली योग्य मूल्य को निश्चित किये बिना, प्रावधान किया गया है ।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
2.(d).iii. Accounting Standard '28' in respect of 'Impairment of Assets' impairment loss has been provided at 95% of the book value of assets leaving residual value equivalent to 5% of the book value without ascertainment of salvage/realizable value of the assets. पूँजीगत स्टोर की छति के घाटे को भी परिसम्पत्ति के बही मूल्य का 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है। Even for Capital Stores impairment loss has been provided at 100% of the book value of assets.	Remarks of the auditors in their report, is self explanatory and therefore no replies are required.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
उपर्युक्त व्यवहार का, कमी/बढ़त के प्रावधान के कारण घाटे में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है। The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on loss and other related accounts could not be ascertained.	
2.ङ भारत सरकार ने अपने स्पष्टीकरण सं. जी.एस.आर. 829 (ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 164 में निदेशकों के अयोग्यता से संबंधित प्रावधान को लागू होने से मुक्त किया है।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अत: (ङ) से (ञ) तक इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
2.e. The Central Government has, vide clarification no. GSR 829 (E) dated 21st October 2003 exempted government companies from the applicability of the provisions of section 164 of the Companies Act 2013 relating to disqualification of Directors.	Remarks of the auditors in their report, is self explanatory and therefore no replies are required from e to j.
2.च. विविध देनदारों, लेनदारों तथा ऋण एवं अग्रिम की पुष्टि एवं मिलान पर निर्भर करता है।	
2.f. Balances in respect of Sundry Debtors, Creditors and Loans & Advances are subject to confirmation and reconciliation.	
2.छ. निगम में 2 जुलाई, 2003 के पश्चात कंपनी सचिव नहीं है जो कि धारा 203 के अंतर्गत अपेक्षित है इसे कंपनी (प्रबंधन वैयक्तिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) के संशोधन नियम 2014 के साथ पढ़ें।	

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
2.g. The Corporation did not have a Company Secretary after 2nd July 2003, as required in terms of section 203 read with the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Amendment Rules, 2014.	
2.ज. निगम ने एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट के अनुसार देयताओं के निर्धारण के लिये एक प्रणाली नहीं बनाई है। अत: माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बकाया देयता के ब्यौरे को प्रकट न करना और अलेखित देय ब्याज, यदि कोई हो तो, का उल्लेख नहीं है।	
2.h. The Corporation has not established a system to determine liability under MSMED Act. Thus there is no disclosure of particulars and non accounting of interest liability, if any, on outstanding dues of Micro, Small and Medium Enterprises as per Micro Small and Medium Enterprises Development Act 2006.	
2.झ. भूमि की लेखा प्रविष्टि जो कि विभिन्न स्थानों पर, संबंधित सरकारों से नि:शुल्क प्राप्त हुई हैं को अभी तक लेखित करना है। इनका लेखों पर पड़ने वाला प्रभाव अनिश्चित है।	
2.i. Accounting entries for land received free of cost at various locations from the respective Governments are yet to be passed; the impact of the same on the accounts remained unascertained.	
2.ञ. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के अंतर्गत नियम 11 के अनुसार अन्य मामले जो लेखा	

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हैं, हमारे मत तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:

2.j. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

2.(ज).i. कंपनी के पास कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो वित्तीय स्थिति को प्रभवित करे।

2.(j).i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position;

2.(ज).ii. कंपनी के पास कोई डिरेवेटिव अनुबंध सहित लंबी अवधि के अनुबंध नहीं है जिसके लिये थोड़ी सी भी निकट हानि हो।

2.(j).ii. The Company did not have any long-term contracts including derivatives contracts for which there were any material foreseeable losses;

2.(ज).iii. कंपनी अधिनियम 1956 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

2.(j).iii. There are no amounts required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 and the rules made there under.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमनें दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणिका जिसमें 31 मार्च 2015 तक के तुलन पत्र, लाभ हानि विवरणिका और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरणिका और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है जो कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित भारत में सामान्यत: मान्य लेखा सिद्धातों के अनुरूप हो जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह पर सत्य और निष्पक्ष मत को दर्शाता है तथा अधिनियम की धारा 133 में वर्णित लेखा मानकों के अन्तर्गत कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उत्तरदयित्व में सम्मिलित हैं, पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रख-रखाव, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा पता लगाना, उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करना, निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि उचित और विवेकापूर्ण हों, डिजाइन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और अनुरक्षण प्रभावी ढंग से प्रचालन, सही और पूरी तरह से लेखा रिकार्ड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना जो कि सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हों और जो छोटी सी भी गलत बयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, से मुक्त हों।

AUDITORS' REPORT

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of M/s The Fertilizer Corporation of India Limited ('the Company'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015 and the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और जो बातें अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित करना अपेक्षित था, का पालन किया है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (10) में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानको में यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा इस प्रकार से करें कि एक उचित सीमा तक इस बात की संतुष्टि हो सके कि ये वित्तीय विवरण किसी प्रकार की गलतबयानी से मुक्त हैं ।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया में धनराशियों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य और वित्तीय विवरणों को उजागर करना होता है। जिन प्रक्रियाओं का चयन किया जाता है वे लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के बारे में बड़ी गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन चाहे वह कपट पूर्ण हो अथवा गलती से हो, शामिल होता है। इस प्रकार के जोखिमों का आंकलन करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करने के लिये कंपनी के आन्तरिक नियंत्रणों को ध्यान में रखते हुये लेखापरीक्षा प्रक्रिया के डिजाइन का निर्धारण करता है जो उन परिस्थितियों में उचित होता है। लेकिन अपना मत व्यक्त करने के लिये नहीं। उस पर कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग करने के लिये पूरी तरह से आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रण के प्रचालन के प्रभाव के बारे में कि लेखापरीक्षा कार्य में कंपनी के निदेशकों द्वारा अपनाई गई लेखांकन

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as

नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

हमारे मत में और हमें दी गयी उचित जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार संलग्न वित्तीय विवरण अधिनियम में यथा अपेक्षित सूचनाएं प्रदान करते हैं और भारत में प्राय: अपनाये जाने वाले लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार निम्नलिखित के संबंध में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं :

(क) 31 मार्च, 2015 को कम्पनी के कार्यकलापों की वस्तुस्थिति को दर्शाने वाला तुलन-पत्र।

(ख) लाभ-हानि के विवरण के संबंध में उसी तिथि को समाप्त हुए 12 महीनों के लिए लाभ के संबंध में।

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के नकदी प्रवाह का।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसे कि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2015 में अपेक्षित है, भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार हम इस संबंध में नीचे विवरण दे रहे हैं। हम कंपनी अधिनियम 2015 की धारा 143 (5) का अनुपालन करते हुए अनुलग्नक क तथा ख संलग्न कर रहे हैं।

i.क. निगम ने निपटान के लिये रखी परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुये उचित ब्यौरा रखा है । केवल कुछ एककों/प्रभाग को छोड़ कर, जहाँ कुछ मदों, ब्यौरों, अवस्थापन तथा मात्रात्मक विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया है या सही अवस्थापनों को नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ एककों/प्रभाग के स्थायी

evaluating the overall presentation of the financial statements.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2015 and

(b) In the case of the Profit and Loss Statement, of the Profit for the year ended on that date.

(c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by Companies (Auditors' Report) Order, 2015, issued by the Central Government in terms of section 143(11) of the act, we give a statement on the matters specified given below. We also enclosed compliance of section 143 (5) of the Companies Act, 2015 (Annexure-A & B)

i. a. The Corporation has generally maintained proper records to show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets including retired assets held for disposal except in some units/divisions where for some items particulars, locations and quantitative details have not been mentioned or correct locations are not

परिसम्पत्तियों के रिकार्ड समय-समय पर लेखांकित नहीं हुआ है।

i.ख. स्थायी परिसम्पत्तियों और उन परिसम्पत्तियों का जो उपयोग में नहीं हैं और निपटान के लिये हैं, का भौतिक सत्यापन सभी एकको का नहीं किया गया है। हम विसंगतियों पर, यदि कोई हों तो और लेखों पर उनका प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ii.क. वर्ष के अंतर्गत वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

ii.ख. निगम ने वस्तुसूचियों का उचित रिकार्ड रखा है। वस्तुसूचियों के भौतिक सत्यापन के अभाव में, विसंगतियों पर, यदि कोई हो तो, और लेखों पर उनके प्रभाव के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

iii. संरक्षित रजिस्टर में वर्णित अधिनियम की धारा 189 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म या पार्टी को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। इस प्रकार आदेश के (क), (ख) खंड लागू नहीं होते है।

iv. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निगम में सीमित कर्मचारी ही बचे है, वस्तुसूचियों व स्थायी परिसम्पत्तियों को खरीदने और वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं के संबंधमें आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया के विषय में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

v. निगम ने कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है जसमें कंपनी अधिनियम 2015 की धारा 73 से 76 के प्रावधान लागू होते हैं।

vi. केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखना आवश्यक किया हुआ है । हमें बताया गया है कि निगम को बंद

stated. Further, in some units/divisions fixed asset records are not updated.

i. b. The physical verification of fixed assets including assets retired from active use held for disposal has not been carried out for all the units. We are unable to comment on any discrepancies, if any, and its treatment in accounts.

ii. a. The physical verification of inventory was not conducted during the year.

ii. b. The Corporation is maintaining proper records of inventory. In the absence of any physical verification for the inventory we are unable to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in accounts.

iii. The Company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Act. Consequently, clauses (a), (b), of the order are not applicable.

iv. In view of the fact that only a few employees are left in the Corporation. We are unable to comment on the internal control system for the purchase of inventory and fixed assets and for the sale of goods and services.

v. The company has not accepted any deposits to which the provisions of Sections 73 to 76 of the Companies Act, 2015 are applicable.

vi. Cost records have been prescribed by the Central Govt. under Section 148(1) of the Companies Act 2013. We are informed that the Corporation has moved

करने के आदेश के कारण निगम ने वर्ष 2003 में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निगम को इस प्रकार के रिकार्ड रखनें से छूट देने के लिये आवेदन किया है। अभी तक इस संबंध में अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि उत्पादन गतिविधियां बंद कर दी गयी हैं, लागत रिकार्ड नहीं बनाया गया है और न ही अनुरक्षित किया गया है ।

vii. निगम अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, ई.एस.आई., आयकर, बिक्री कर, सेवा कर आदि को जमा करने में सामान्यत: नियमित रही है । हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2015 को सिंदरी में सेवा कर के 12.03 लाख रूपयों को लेखों में नहीं लिया गया है तथा टीडीएस के 0.40 लाख रूपये तलचर एकक में और 0.34 लाख रूपये गोरखपुर एकक मे नहीं काटे गये हैं। इन्हे छोड़कर देयता की कोई अविवादास्पद राशि आयकर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयता के संबंध में जिस तिथि से देय हुये हैं, छ: महीने से अधिक समय तक बकाया नही रहे हैं।

बिक्री कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर से संबंधित विवादास्पद राशि जो कि जमा नहीं किये गये हैं के संबंध में जानकारी इस रिपोर्ट के साथ संलग्नक के रूप में उपलब्ध है और जो कि प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण पर आधारित है।

कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा नियोजक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि हस्तांतरित नहीं करनी है।

an application in the year 2003 to the competent authority for exempting the Corporation for maintaining such records in view of the order of the Corporation. However such permission has not yet been received. Since the production activities have been closed, no cost records have been made and maintained.

vii. The Corporation has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, ESI, Income Tax, Sales Tax, Service Tax etc. according to information and explanations given to us, no undisputed amount payable in respect of Income Tax, Wealth Tax, Sales Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other statutory dues, were outstanding as on 31st March, 2015 for a period of more than six months from the date they become payable except Service Tax Rs. 12.03 Lakh at Sindri Unit not taken in the books and Tax deducted at source Rs. 0.40 Lakh at Talchar Unit, Rs. 0.34 Lakh for Gorakhpur Unit not deducted.

In respect of disputed amounts not deposited on account of Sales Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty and Cess, the required information is provided by way of an annexure to this report and which forms an integral part hereof and which is based on the necessary information and explanations provided by the management.

There are no amounts required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 and the rules made there under.

viii. कंपनी को 31 मार्च, 2015 तक संचित हानि उसके निवल पूँजी से पचास प्रतिशत से कम नहीं है और इसने इसी तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिये या उससे पिछले वित्त वर्ष में नकद हानि हुई है।

ix. तुलन पत्र के तिथि तक कंपनी के रिकार्ड के अनुसार जिसे हमने जांचा है और जो सूचनाएं व जानकारी हमें दी गयी हैं, उसके अनुसार कंपनी किसी भी वित्तीय संस्था या बैंक या डिबैन्चर धारकों के देयताओं के पुनर्भुगतान करने में बकायादार नहीं रही है।

x. हमारे मत में तथा हमें दी गयी सूचनाओं एवं जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष में अन्यों द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर कंपनी ने कोई गारंटी नही दी है।

xi. कंपनी ने मियादी ऋण नहीं लिया है।

xii. भारत में सामान्यत: मान्य लेखा परीक्षा पद्धति के अनुसार और हमें दी गयी सूचना एवं जानकारी के अनुसार लेखों और कंपनी के रिकार्ड का किये गये जॉच के दौरान वर्ष में कंपनी पर या उसके द्वारा किसी प्रकार के कपट की घटना हमारे सामने नहीं आयी है और न तो नोटिस किया या रिपोर्ट किया गया न ही हमें इस तरह के मामले की सूचना प्रबंधन द्वारा दी गयी है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार हम बताना चाहते हैं कि:-

क. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है।

viii. The company has accumulated losses as at March 31, 2015 are not less than fifty percent of its net worth and it has incurred cash losses in the financial year ended on that date or in the immediately preceding financial year.

ix. According to the records of the company examined by us and the information and explanations given to us, the company has not defaulted in repayment of dues to any financial institution or bank or debenture holders as at the balance sheet date.

x. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions during the year.

xi. The company has not obtained any terms loans.

xii. During the course of our examination of the books and records of the company, carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India, and according to the information and explanations given to us, we have neither come across any instance of fraud on or by the company, noticed or reported during the year, not have we been informed of such case by the management.

2. As required by section 143(3) of the act, we report that:

a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

ख. हमारी राय में, जैसा कि हमें उन बहियों के जाँच के दौरान दिखता है, निगम ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है ।

ग. इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

घ. हमारी राय में ये लेखे अधिनियम की धारा 133 में संदर्भित, इसे कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें, लागू लेखा मानक के अनुसार बनाये गये हैं, केवल इन्हे छोड़ कर-

i. लेखा मानक-2 'वस्तुसूचियों का मूल्यांकन' ए एस-2 के अनुसार नहीं किया गया है । कच्चा माल और स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स की वस्तुसूचियों का मूल्यांकन लगभग 25 प्रतिशत की लागत पर किया गया है तथा तैयार माल, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट, उपभोज्य भंडार, पेन्ट और ल्यूब्रीकेन्ट, मैडिकल स्टोर्स का 100 प्रतिशत का प्रावधान निवल वसूली योग्य मूल्य सुनिश्चित किये बिना किया गया है।

उपर्युक्त व्यवहार का कमी/बढ़त के प्रावधान के कारण घाटे में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

चालू वर्ष में वस्तुसूचियों के अप्रचलन/कमियों से हानि, यदि कोई हो तो, जैसा कि हमें सूचित किया गया है, एककों में वस्तुसूची गोदाम पूरे वर्ष सील रहे हैं और उनका न तो भौतिक सत्यापन हुआ है और न ही उनका

b. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books;

c. The Balance Sheet, Statement of Profit & Loss and cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

d. In our opinion, these accounts have been prepared in compliance with the applicable accounting standards referred to in Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 except

i. Accounting Standard '2' Valuation of inventories to the extent that the inventory have not been valued in accordance with the AS-2. The Inventory of raw material, stores & spares have been valued at approximately 25% of the cost and 100% provision without ascertaining the net realizable value of the inventories has taken for finished goods packing materials, chemicals catalyst, consumable stores, lubricants, medical stores.

The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on loss and other related accounts could not be ascertained.

Loss, if any, on obsolescence/shortage of inventories during the year. As per information provided inventory godowns at the units remained sealed throughout the year and neither their physical status verified nor their realizable value is

वसूली योग्य मूल्य अभिनिश्चित हुआ है और मूल्यांकन पिछले वर्ष के आधार पर लिया गया है जो कि बाजार भाव/भौतिक उपलब्धि को ध्यान में रखे बिना किया गया है।

ascertained during the year and the valuation has been adopted as it was in previous year without considering their market value/ physical availability.

ii. लेखा मानक-15 "कर्मचारी हित लाभ" ए एस -15 के अनुसार नहीं दिया गया है यद्यपि कम्पनी वास्तविक आधार पर प्रावधान कर रही है ।

ii. Accounting Standard '15' 'Employees Benefits' to the extent that disclosure in compliance with AS- 15 is not given. Although the Corporation is making the provisions on actual basis.

iii. 'परिसम्पत्ति में छति' के संबंध में लेखा मानक-28 छति की हानि, बहीमूल्य का 95 प्रतिशत तथा शेष बही मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कबाड़/वसूली योग्य मूल्य को निश्चित किये बिना, प्रावधान किया गया है ।

iii. Accounting Standard '28' in respect of 'Impairment of Assets' impairment loss has been provided at 95% of the book value of assets leaving residual value equivalent to 5% of the book value without ascertainment of salvage/realizable value of the assets.

पूँजीगत स्टोर की छति के घाटे को भी परिसम्पत्ति के बही मूल्य का 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है।

Even for Capital Stores impairment loss has been provided at 100% of the book value of assets.

उपर्युक्त व्यवहार का, कमी/बढ़त के प्रावधान के कारण घाटे में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on loss and other related accounts could not be ascertained.

ङ भारत सरकार ने अपने स्पष्टीकरण सं. जी.एस.आर. 829 (ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 164 में निदेशकों के अयोग्यता से संबंधित प्रावधान को लागू होने से मुक्त किया है ।

e. The Central Government has, vide clarification no. GSR 829 (E) dated 21st October 2003 exempted government companies from the applicability of the provisions of section 164 of the Companies Act 2013 relating to disqualification of Directors.

च. विविध देनदारों, लेनदारों तथा ऋण एवं अग्रिम की पुष्टि एवं मिलान पर निर्भर करता है।

f. Balances in respect of Sundry Debtors, Creditors and Loans & Advances are subject to confirmation and reconciliation.

छ. निगम में 2 जुलाई, 2003 के पश्चात कंपनी सचिव नहीं है जो कि धारा 203 के अंतर्गत अपेक्षित है इसे कंपनी (प्रबंधन वैयक्तिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) के संशोधन नियम 2014 के साथ पढ़ें।

ज. निगम ने एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट के अनुसार देयताओं के निर्धारण के लिये एक प्रणाली नहीं बनाई है। अत: माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बकाया देयता के ब्यौरे को प्रकट न करना और अलेखित देय ब्याज, यदि कोई हो तो, का उल्लेख नहीं है।

झ. भूमि की लेखा प्रविष्टि जो कि विभिन्न स्थानों पर, संबंधित सरकारों से नि:शुल्क प्राप्त हुई हैं को अभी तक लेखित करना है। इनका लेखों पर पड़ने वाला प्रभाव अनिश्चित है।

ञ. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के अंतर्गत नियम 11 के अनुसार अन्य मामले जो लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हैं, हमारे मत तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी के पास कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो वित्तीय स्थिति को प्रभवित करे।

ii. कंपनी के पास कोई डिरेवेटिव अनुबंध सहित लंबी अवधि के अनुबंध नहीं है जिसके लिये थोड़ी सी भी निकट हानि हो।

g. The Corporation did not have a Company Secretary after 2nd July 2003, as required in terms of section 203 read with the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Amendment Rules, 2014.

h. The Corporation has not established a system to determine liability under MSMED Act. Thus there is no disclosure of particulars and non accounting of interest liability, if any, on outstanding dues of Micro, Small and Medium Enterprises as per Micro Small and Medium Enterprises Development Act 2006.

i. Accounting entries for land received free of cost at various locations from the respective Governments are yet to be passed; the impact of the same on the accounts remained unascertained.

j. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position;

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivatives contracts for which there were any material foreseeable losses;

iii. कंपनी अधिनियम 1956 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

iii. There are no amounts required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 and the rules made there under.

कृते मै० घोष खन्ना एण्ड कं.,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं०: 003366 एन
ह०/–
(रोहित कोहली)
भागीदार
सदस्यता सं : 87722

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.10.2015

For Ghosh Khanna & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 003366N
Sd/-
(Rohit Kohli)
Partner
Membership No.87722

Place : New Delhi
Date : 12.10.2015

अनुलग्नक
Annexure

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिये विवादास्पद सांविधिक देयताओं के ब्योरे
DETAILS OF DISPUTED STATUTORY DUES FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2015

क्रमांक Sl. No.	एकक एवं संविधि का नाम Unit and Name of the Statute	देयताओं का प्रकार Nature of dues	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs./Lakh)	विवाद सुलझाने का फोरम Forum for Dispute
सिन्दरी Sindri				
1.	बिहार स्वास्थ्य उपकर अधिनियम '77 तथा बिहार और उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1990	नोटीफाइड एरिया कमेटी द्वारा स्वास्थ्य उपकर तथा शिक्षा उपकर अधिरोपित	229.49 लाख रुपये + ब्याज आदेश के अनुसार 30 लाख रुपये का भुगतान न्यायालय को किया)	भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
	Bihar Health Cess Act. '77 and Bihar and Orissa Primary Education Act, 1990	Health Cess and Education Cess imposed by Notified Area Committee	229.49 lakh + Interest (Rs. 30 lakh paid to Court as per order).	Supreme Court of India, New Delhi
2.	उत्पाद शुल्क Excise	उत्पाद शुल्क Excise duty	315.85 लाख रुपये 315.85 lakh	सी ई एस टी ए टी, कोलकाता CESTAT, Kolkata.
3.	उत्पाद शुल्क Excise	उत्पाद शुल्क Excise duty	17.28 लाख रुपये 17.28 lakh	उत्पाद शुल्क आयुक्त, पटना Commissioner of Excise, Patna.
4.	उत्पाद शुल्क Excise	उत्पाद शुल्क Excise duty	25.64 लाख रुपये 25.64 lakh	आयुक्त (उत्पाद शुल्क), राँची Commissioner of Excise, Ranchi

क्रमांक Sl. No.	एकक एवं संविधि का नाम Unit and Name of the Statute	देयताओं का प्रकार Nature of dues	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs./Lakh)	विवाद सुलझाने का फोरम Forum for dispute
5.	उत्पाद शुल्क Excise	उत्पाद शुल्क Excise duty	25.14 लाख रुपये 25.14 lakh	नया दावा Fresh Claim
6.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	421.65 लाख रुपये 421.65 lakh	जे सी सी टी, धनबाद JCCT, Dhanbad
7.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	2009.06 लाख रुपये 2009.06 lakh	सी सी टी, राँची CCT, Ranchi
8.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	1.00 लाख रुपये 1.00 lakh	ए सी सी टी, राँची ACCT, Ranchi
9.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	5.00 लाख रुपये + 1993-94 से ब्याज 5.00 lakh + Interest from 1993-94	सी सी टी, पटना CCT, Patna
गोरखपुर Gorakhpur				
10.	ट्रेड कर अधिनियम Trade Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	0.41 लाख रुपये 0.41 lakh	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
11.	ट्रेड कर अधिनियम Trade Tax Act	उत्पाद शुल्क Excise Duty	0.32 लाख रुपये 0.32 lakh	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad

क्रमांक Sl. No.	एकक एवं संविधि का नाम Unit and Name of the Statute	देयताओं का प्रकार Nature of dues	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs./Lakh)	विवाद सुलझाने का फोरम Forum for dispute
रामागुण्डम Ramagundam				
कोई ऐसा मामला नहीं है। No such cases.				
तलचर Talcher				
12.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	2.27 लाख रुपये 2.27 lakh	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, कटक, उड़ीसा Asstt. Commissioner of Sales Tax, Cuttack, Odisha
कोरबा Korba				
13.	नगर निगम, कोरबा Nagar Nigam, Korba	सम्पत्ति कर Property Tax	47.73 लाख रुपये 47.73 lakh	उच्च न्यायालय, बिलासपुर High Court, Bilaspur
विपणन प्रभाग Marketing Division				
14.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	24.89 लाख रुपये 24.89 lakh	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, पटना Asstt. Commissioner of Sales Tax, Patna
15.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	24.00 लाख रुपये 24.00 lakh	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, लखनऊ Asstt. Commissioner of Sales Tax, Lucknow

अनुलग्नक-क /Annexure-A

कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 143 (5) के अंतर्गत 31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिये प्रश्नमाला का उत्तर।

Replies to the Questionnaire under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013 for the year ended 31.03.2015

प्रश्नमाला/Questionnaire	उत्तर/Replies
(I) विनिवेश	
यदि कंपनी का चयन विनिवेश के लिये किया गया है तब परिसम्पत्ति के मूल्यांकन (अमूर्त परिसम्पत्ति सहित भूमि) के संबंध में पूरी स्थिति रिपोर्ट और वर्तमान विनिवेश प्रक्रिया की विधि सहित देयताओं (प्रतिबद्धता और साधारण रिजर्व) की जॉच की जाये।	कंपनी ने वर्ष 2014-15 में पी.डी.आई एल और एम एस टी सी की सहायता से ई- निविदा के द्वारा तलचर और रामागुण्डम एककों में उपयोग में न आने वाली स्थायी परिसम्पत्तियों और भंडार को बेच दिया है। उपयोग में न आने वाली परिसम्पत्तियों और भंडार के बिक्री से कुल 239.14 करोड़ रूपये (बिक्री कर को छोड़ कर) प्राप्त हुये हैं। रामागुण्डम और तलचर एककों की उपयोग के योग्य परिसम्पत्तियों (भूमि के अतिरिक्त) का पुनर्मूल्यांकन पी.डी.आई.एल. द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। बिक्री प्रक्रिया के बीच कंपनी द्वारा निवेश नहीं किया गया था।
(I) Disinvestment	
If the company has selected for disinvestment a complete status report in terms of valution of assets (Including intrangible assets and land) and Liabilities (including committed and general reserves) may be examined including the mode and present stage of disinvestment process.	During the year 2014-15 Company has sold the unusable fixed assets and stores of Talcher & Ramagundam Units through E-tendring with the support of PDIL & MSTC. Total amount received from sale of unusable fixed assets and stores is Rs. 239.14 Crore (Excluding Sales Tax). Usable assets of the Ramagundam and Talchar Units (Excluding Land) has been revalued on the basis of revaluation report provided by PDIL. No investment was made by the company during the process of sale.

प्रश्नमाला/Questionnaire	उत्तर/Replies
II. कृपया बतायें कि क्या डैब्टस/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने संबंधी विषय हैं। यदि हॉ, तो इसका कारण और इसमें कितनी राशि अंतर्निहित है।	वर्ष के अंतर्गत सेल से प्राप्त होने योग्य प्रतिबद्वता फीस के 8.34 करोड़ रूपये को बटटे खाते डाल दिया गया है क्योंकि सेल ने सेल सिन्दरी परियोजना को चालू करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है और सी.सी.ई.ए. ने सिन्दरी के पुनरूजीवन के संबंध में सेल द्वारा नोमिनेशन रूट के स्थान पर बिडिंग रूट की स्वीकृति दे दी है।
II. Please report whether there are any cases of waiver of debts/loans/interest etc. if yes, the reasons therefor and the amount involved.	During the year commitment fees of Rs. 8.34 crore recoverable from SAIL has been written off as SAIL has expressed its inability to continue the SAIL Sindri Project and CCEA has approved revival of Sindri Unit through bidding route instead of nomination route by SAIL as approved earlier.
III. क्या तीसरी पार्टी के पास पड़ी हुई वस्तुसूची और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसम्पत्ति का उचित रिकार्ड रखा गया है?	कोई कच्चा माल तीसरी पार्टी के पास नहीं पड़ा है। वर्ष के अंतर्गत सरकार से अथवा अन्य प्राधिकरणों से कोई परिसम्पत्ति उपहार के रूप में नहीं प्राप्त हुई है।
III. Wether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets recieved as gift from Govt. or other authorities.	No raw material is lying with third party. Further, no assets have been received as gift during the year from Goverment or the other authorities.
IV. कानूनी/मध्यस्थता प्रकरण कानूनी/मध्यस्थता प्रकरण को दिनांक के अनुसार विश्लेषण तथा लंबित होने का कारण और सभी कानूनी प्रकरणों (विदेशी/स्थानीय) के खर्चे पर मानिटरिंग तंत्र का अस्तित्व/प्रभाव पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	लंबित कानूनी प्रकरणों की सूची संलग्न है।
IV. Legal/Arbitration cases A Report on age wise analysis of pending legal/arbitration cases including the reasons of pendency and the existence/effectiveness of monitoring mechanism for expenditure on all legal cases (Foreign & Local) may be given.	Pending legal cases list is enclosed.

अनुलग्नक–ख /Annexure-B

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत अतिरिक्त उप-निदेशन

Additional Sub- Directions under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

प्रश्नमाला/Questionnaire	उत्तर/Replies
1. क्या कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व की भूमि और पट्टे की भूमि का क्रमशः स्पष्ट अधिकार/पट्टा विलेख है। यदि नही, तो पूर्ण स्वामित्व की भूमि और पट्टे की भूमि का क्षेत्रफल बतायें जिसका अधिकार/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है।	तलचर में भूमि यॉपि प्रत्यक्ष रूप से एफ.सी.आई.एल. के कब्जे में है लेकिन राजस्व रिकार्ड संबंधी औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया जा सका है। तलचर में 7.780 एकड भूमि (पिछले वर्ष 7.780 एकड़) के संबंध में अनुबंध/कानूनी औपचारिकता पूरा करना शेष है। यह "नाला" की भूमि है जो कि शहर से होकर जाती है और कुछ समय पहले जिला के विभाजन के कारण जिला प्राधिकरण द्वारा भूमि के ब्यौरा को एकत्रित नहीं किया जा सका है। तलचर में 202 क्वार्टर हैवी वाटर प्लांट (एच.डब्लू.पी.) को हैवीवाटर प्लांट के 344 क्वार्टरों के बदले में आपसी मान्य समझौता के अंतर्गत पुनरूजीवन के अंतिम निर्णय को ध्यान में रखते हुये दिये गये हैं। इस प्रकार इसके लिये लेखो में समायोजन नहीं किया गया है।
1. Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold land respectively? If not, please state the area of freehold and leasehold land for which title/ lease deeds are not available.	At Talcher, though the land is physically in the possession of FCIL, the formalities with regard to revenue records could not be completed. Agreement/ Legal formalities remain to be executed with regard to 7.780 acres of land at Talcher (previous year 7.780 acres). This is a land of "Nalla" passing through the township and due to district bifurcation some time back, the land details could not be compiled by the District Authorities. At Talcher, 202 quarters have been given to Heavy Water Plant (HWP) in exchange of 344 quarters received from HWP under a mutually agreed arrangement subject to final decision on revival. Accordingly, no adjustment for the same has been carried out in the books.

प्रश्नमाला/Questionnaire	उत्तर/Replies
2. अतिक्रमण की गई भूमि का क्षेत्रफल बतायें और सारांश में बतायें कि इस अतिक्रमण को हटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?	सिन्दरी के अतिरिक्त अन्य किसी एकक में भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। एफ.सी.आई.एल. के पास सिन्दरी में 6653 एकड़ भूमि है। यहाँ भूमि इधर-उधर बिखरी हुई है जहाँ भमि का अतिक्रमण किया गया है और भूमि के क्षेत्रफल को मापा नही गया हैं। विस्तृत भू-भाग होने के कारण और पर्याप्त जनशक्ति के अभाव में कम्पनी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कार्यवाही करने में असमर्थ है। इस संबंध में जिला प्राधिकरणों को सूचित किया जाता रहा है लेकिन अतिक्रमण को हटाने के संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
2. State the area of land under encroachment and briefly explain the steps taken by the company to remove encroachments.	There is no encroachment of land in any of the unit except in Sindri. In Sindri Unit FCIL having 6653 acre of land. There are some scattered places where land has been encroached however area of land is not measured. Due to the vast area of land and absence of adequate manpower, the Company is not in a position to take any action for getting the encroachment removed. District Authorities have been kept informed for the same, however, action has not been taken so far for removing the encroachment.
3. प्रस्तुत दावा के अनुसार क्या भारत सरकार से प्राप्त/वसूली योग्य सब्सिडी को ठीक से लेखित कर दिया गया है?	लेखा परीक्षा वर्ष (वित्त वर्ष 2014-15) में भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त नही हुई है/वसूली योग्य नही हैं अतः यह धारा कंपनी पर लागू नही होती।
3. Whether subsidy received/recoverable from Government of India has been properly accounted for as per claims admitted.	During the audit period (F.Y 2014-15) no subsidy has received or recoverable from Government of India so the above clause is not applicable on the Company.
4. एचुएरी को दी गयी सूचना/इनपुट जैसे कि कर्मचारी की संख्या, औसत वेतन, सेवानिवृत्ति की आयु आदि और एचुएरी द्वारा दर में छूट, भविष्य में लागत में बढ़ोतरी के संबंध में की गई कल्पना का स्वतंत्र सत्यापन किया जाये	सेवानिवृत्ति लाभ के देयता जैसे कि पारितोषिक, अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद मैडिकल लाभ आदि के लिये प्रावधान वास्तविक परिकलन के आधार पर किया जाता है।

प्रश्नमाला/Questionnaire	उत्तर/Replies
ताकि सेवानिवत्ति लाभ जैसे कि पारितोषिक, अवकाश नकदीकरण, सेवानिवत्ति के पश्चात मैडिकल लाभ आदि का स्वतंत्र सत्यापन किया जाये।	
4. Independent verification may be made of information/inputs furnished to Achuary viz. Number of employees, average salary, retirement age etc. and assumptions made by the Achuary regarding the discount rate, future cost increase. For arriving at the provision for liability of retirement benefits, viz. gratuity, leave encashment, post retirements medical benefits etc.	Provision for liability to retirement benefits. viz. gratuity, leave encashment, post retirements medical benefits etc. are done on actual calculation basis.
5. क्या (क) बैंक अधिशेष, (ख) ट्रेड प्राप्त होने योग्य, (ग) ट्रेड देने योग्य और (घ) ऋण एवं अग्रिम की राशि जिनके लिये तीसरी पार्टी पुष्टि उपलब्ध नहीं किया गया था और रिपोर्टिंग की गई है, और जहाँ इस प्रकार के बकाया का संबंधित पार्टियों ने पुष्टि कर दिया है, क्या वित्तीय विवरण में संबंधित शीर्ष में दिखाये गये से यह अंतर ज्यादा है, यदि ऐसा है तो अंतर को बताया जाये।	बैंक अधिशेष की पुष्टि प्राप्त हो गयी है। ट्रेड प्राप्त होने योग्य, ट्रेड देने योग्य तथा ऋण एवं अग्रिम की पुष्टि नही हुई है।
5. Whether amount of (a) bank balances (b) trade receivables, (c) trade payables. and (d) loans and advances for which third party confirmation was not made available, have been reported; and where such balance has been confirmed by the respective parties, whether it varies widely from the amounts reflected under respective heads in the financial statements, and if so, difference to be disclosed.	We have received all the confirmation of bank balances. No confirmations have received from Trade Receivables, Trade Payables and Loans & Advances.

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन कार्य संरचना के अनुसार दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 143 की धार 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है। दिनांक 12 अक्टूबर 2015 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत यह बताया गया है, कि उन्होंने यह कार्य पूरा कर दिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिये, कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के अंतर्गत दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रलेख को बिना जांचे किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रश्नों और कंपनी वैयक्तिक के जांच और कुछ चुनिंदा लेखा बहियों के परीक्षण तक सीमित है। मेरे लेखा परीक्षण के आधार पर कोई महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी नहीं आयी हैं जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट या अनुपूरक पर टिप्पणी करने की स्थिति उत्पन्न हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं की ओर से

ह०/–
(प्रवीर कुमार)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रमुख निदेशक
तथा आडिट बोर्ड–II के पदेन सदस्य
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : नवम्बर 9, 2015

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2015.

The preparation of financial statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Companies Act, are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 12 October 2015.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6) (a) of the act of the financial statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2015. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which goive rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report.

For and of behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
(Praveer Kumar)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-II
Kolkata

Place : Kolkata
Dated : The 9th of November, 2015

तुलन पत्र
(31 मार्च, 2015 को)

BALANCE SHEET
(As at 31st March, 2015)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची संख्या Note No.	31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
इक्विटी एवं देयताएं	**EQUITY & LIABILITIES**			
शेयर धारियों की निधियां	**Shareholders' Funds**			
शेयर पूँजी	Share Capital	2	75,09,239	75,09,239
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	3	(52,49,468)	(74,57,629)
चालू देयताएं नहीं हैं	**Non-Current Liabilities**			
दीर्घ अवधि देयताएं	Long Term Liabilities	4	13,43,971	14,59,459
दीर्घ अवधि प्रावधान	Long Term Provisions	5	1,27,085	1,29,028
चालू देयताएं	**Current Liabilities**			
चालू देयताएं	Current Liabilities	6	48,882	13,899
अन्य चालू देयताएं	Other Current Liabilities	7	1,359	970
लघु अवधि प्रावधान	Short Term Provisions	8	25,606	29,674
योग	**Total**		38,06,674	16,84,640
परिसम्पत्तियाँ	ASSETS			
चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं	Non-current Assets			
स्थायी परिसम्पत्तियाँ	Fixed Assets	9		
मूर्त परिसम्पत्तियाँ	Tangible Assets		6,47,019	6,08,820
निवेश	Investment	10	105	5

(जारी)/Continued

तुलन पत्र (31 मार्च 2015 को) (जारी)
BALANCE SHEET (As at 31st March, 2015) (Continued)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची संख्या Note No.	31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
नकद एवं नकद के बराबर	Cash & Cash equivalents	11	10,805	10,382
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	12	2,68,140	3,83,462
नकद एवं नकद के बराबर	**Cash & Cash Euivalents**			
वस्तु सूचियाँ	Inventories	13	1,06,838	1,55,186
व्यापार प्राप्ति योग्य	Trade Receivable	14	571	204
नकद एवं नकद के बराबर	Cash & Cash equivalents	11	23,68,610	4,97,519
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	12	4,04,586	29,062
योग	**Total**		38,06,674	16,84,640

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न भाग हैं।
The accompanying notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet.
यह हमारे इसी तिथि को रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र है।
This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.

ह०/- Sd/-
(विजय रंजन सिंह)/(Vijay Ranjan Singh)
निदेशक/Director

ह०/- Sd/-
(सुशील पाल)/(Sushil Pal)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)

ह०/- Sd/-
(सुशील कुमार लोहानी)/(Sushil Kumar Lohani)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
Chairman & Managing Director

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
महा प्रबंधक/General Manager

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी
M/s. Ghosh Khanna & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 03366 एन
Firm Registration No. 03366N
ह०/- Sd/-
(रोहित कोहली)/(Rohit Kohli)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. : 87722

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 15.09.2015

लाभ एवं हानि लेखा (31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिये)

PROFIT & LOSS STATEMENT (For the year ended on 31st March, 2015)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची संख्या Note No.	31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
अन्य आय	Other Income	16	1,95,376	1,34,408
कुल राजस्व	Total Revenue		1,95,376	1,34,408
व्यय	**Expenses**			
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय	Employee benefit expenses	17	10,862	12,320
वित्त लागत	Finance Cost	18	74	36
प्रशासनिक व्यय	Administrative Expenses	19	2,14,029	1,08,180
मूल्यह्रास एवं मुक्ति व्यय	Depreciation and amortization expenses	9	5,514	11,821
कुल व्यय	Total Expenses		2,30,479	1,32,357
विशिष्ट एवं असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ	Profit before exceptional and extra ordinary items & tax		(35,103)	2,051
असाधारण मद	Extra ordinary items		19,54,771	-
पूर्व अवधि समायोजन	Prior Period Expenses	21	9,830	1,422
पूर्व अवधि समायोजन तथा असाधारण मदों के समायोजन के पश्चात लाभ/हानि	Profit/Loss after prior period and extra ordinary adjustments		19,09,838	629
जोड़ : पिछले वर्ष से आगे लायी गयी हानि	Add : Loss brought forward from previous years		(74,65,790)	(74,66,419)
तुलन-पत्र में लाया गया लाभ हानि का बकाया	Balance of Profit/Loss carried over to Balance Sheet		(55,55,952)	(74,65,790)

(जारी)/Continued

लाभ एवं हानि लेखा (31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिये) (जारी)
PROFIT & LOSS STATEMENT (for the year ended on 31st March, 2015) (Continued)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची संख्या Note No.	31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन	Earnings per equity share			
(1000/- रुपये प्रत्येक अंकित मूल्य)	(Face Value Rs. 1000 each):			
(1) मूल	(1) Basic		254.33	0.08
(2) द्रवीय	(2) Diluted		254.33	0.08

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि लेखा का अभिन्न भाग हैं।
The accompanying notes referred to above form an integral part of the Profit and Loss Statement.
यह हमारे इस तिथि को रिपोर्ट में वर्णित लाभ एवं हानि लेखा विवरण है।
This is the Profit and Loss Statement referred to in our report of even date.

ह०/- Sd/-
(विजय रंजन सिंह)/(Vijay Ranjan Singh)
निदेशक/Director

ह०/- Sd/-
(सुशील पाल)/(Sushil Pal)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)

ह०/- Sd/-
(सुशील कुमार लोहानी)/(Sushil Kumar Lohani)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
Chairman & Managing Director

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
महा प्रबंधक/General Manager

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी
M/s. Ghosh Khanna & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 03366 एन
Firm Registration No. 03366N
ह०/- Sd/-
(रोहित कोहली)/(Rohit Kohli)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. : 87722

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 15.09.2015

अनुसूची-2
शेयर पूंजी
NOTE – 2
SHARE CAPITAL

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
प्राधिकृत 8,000,000 इक्विटी शेयर रु. 1000/- के प्रत्येक (गत वर्ष 8,000,000 इक्विटी शेयर)	**Authorised** 8,000,000 Equity shares of Rs.1000/-each (Previous Year, 8,000,000 Equity Shares)	80,00,000	80,00,000
जारी किये गये, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त 7509239 इक्विटी शेयर रुपये 1000 के पूर्णतः प्रदत्त (गत वर्ष 7509239 इक्विटी शेयर)	**Issued, Subscribed & Fully paid up** 7509239 Equity shares of Rs. 1000/- each fully paid up (Previous Year 7509239 Equity Shares)	75,09,239	75,09,239
		75,09,239	75,09, 239

अनुसूची-3

आरक्षित एवं अधिशेष

NOTE – 3

RESERVE AND SURPLUS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
क. आरक्षित पूंजी	a. Capital Reserve		
प्रारम्भिक शेष	Opening balance	7,569	7,569
परिसम्पति पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	Assets revaluation reserve	7,02,230	-
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस किया गया	Less : Depreciation on revalued Assets during the year	4,03,907	-
		3,05,892	7,569
ख. अन्य आरक्षित (औद्योगिक आवास पर सब्सिडी)	b. Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)		
प्रारम्भिक शेष	Opening balance	592	592
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस किया गया	Less : Written back during the year	-	-
		592	592
लाभ एवं हानि लेखा से अंतरित राशि	Amount transferred from Profit & Loss Statement	(55,55,952)	(74,65,790)
		(52,49,468)	(74,57,629)

अनुसूची- 4
दीर्घ अवधि देयताएँ
NOTE – 4
LONG TERM LIABILITIES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
ट्रेड देय	**Trade Pyables**		
पूँजी लेखे पर	On Capital Account	6,012	6,012
ट्रेड पर देयता	On Trade Payables	9,42,208	10,59,944
ट्रेड एवं अन्य जमा	Trade and other deposits	37,782	37,313
प्रतिभूति/बयाना जमा राशि	Security/Earnest money deposit	38,477	37,529
अन्य	**Others**		
भूतपूर्व कर्मचारी	Ex-Employees	11,445	12,814
भूतपूर्व कर्मचारी (आवास पट्टे पर)	Ex-Employees (Lease accommodation)	1,98,403	1,97,558
सांविधिक देयताएं व अन्य	Statutory liabilities & others	38,439	37,654
सीमा शुल्क	Custom duty	58,509	58,509
अन्य देयताएं	Other Liabilities	5,540	5,533
कर्मचारी सुख सुविधा निधि	Worker's Amenities Fund	7,156	6,593
		13,43,971	14,59,459

अनुसूची-5
दीर्घ अवधि प्रावधान
NOTE – 5
LONG TERM PROVISIONS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
पूंजी खाता	Capital Account	-	-
व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Expenses	1,17,621	1,18,845
नोएडा की भूमि पर जुर्माना ब्याज	Penal Interest on NOIDA land	3,420	3,420
नेहरू प्लेस फ्लैट धारक	Nehlu Place Flat owners	748	748
सांविधिक देयताएं एवं अन्य	Statutory liabilities & others	5,296	6,015
		1,27,085	1,29,028

अनुसूची-6
चालू देयताएं
NOTE – 6
CURRENT LIABILITIES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
ट्रेड देय	Trade Payables		
खर्चे पर लेनदार	Creditors for Expenses	17,447	2,455
ट्रेड एवं अन्य जमा	Trade and other deposits	108	2,799
प्रतिभूति/बयाना राशि जमा	Security / Earnest money deposit	9,394	6,597
सांविधिक देयताएं एवं अन्य	Statutory liabilities & others	21,933	2,048
		48,882	13,899

अनुसूची–7
अन्य चालू देयताएं
NOTE – 7
OTHER CURRENT LIABILITIES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
पूर्व कर्मचारी	Ex-employees	-	152
देय लेखा परीक्षा शुल्क	Audit fee payable	251	250
देय किराया	Rent payable	1,080	540
देय विद्युत खर्चे	Electricity expenses payable	28	28
		1,359	970

अनुसूची-8
लघु अवधि प्रावधान
NOTE – 8
SHORT TERM PROVISIONS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
(क) कर्मचारियों के लाभ के लिये प्रावधान	(a) Provisions for Employees Benefit		
कर्मचारियों को वेतन	Salary for employees	396	413
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	168	246
आनुतोषिक (दी गई राशि)	Gratuity (funded)	4,881	5,721
अवकाश नगदीकरण (दी गई राशि)	Leave Encashment (funded)	1,592	2,074
सेवानिवृत्ति (दी गई राशि)	Superannuation (funded)	10,051	13,619
अन्य (वी.एस.एस.-टी.ए., आदि)	Others (VSS-TA, etc.)	329	342
(ख) अन्य	(b) Other		
व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Expenses	8,014	7,094
लेखा परीक्षा व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Audit Expenses	175	165
		25,606	29,674

अनुसूची–9
स्थायी परिसम्पत्तियाँ
NOTE–9
FIXED ASSETS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

मूर्त परिसम्पत्तियाँ Tangible Assets	सकल खण्ड /Gross Block					संचित मूल्यह्रास/Accumulated Depreciation					निवल खण्ड/Net Block	
	01.4.2014 को बकाया Balance as at 01.04.2014	(निपटान) (Disposal)	वृद्धि Addition	पुनर्मूल्यांकन/ (छति) Revaluation/ (impairment)	31.03.2015 को बकाया Balance as at 31.03.2015	01.4.2014 को बकाया Balance as at 01.04.2014	वर्ष में मूल्यह्रास Depreciation charged for the Year	पुनर्मूल्यांकन के कारण समायोजन Adjustment due to revaluation	निपटन केलिए On Disposals	31.3.2015 को बकाया Blance as at 31.03.2015	31.3.2014 को बकाया Balance as at 31.03.2014	31.3.2015 को बकाया Balance as at 31.03.2015
(क) निपटान के लिये सेवामुक्त परिसम्पत्तियाँ A) Assets retired and held for disposal												
सड़क एवं पुलिया Roads & Culverts - F.Y.	16,746	0		2,988	19,734	15909	-	2839	-	18748	837	986
भवन Buildings - F.Y.	18,49,11	0		65,417	2,50,328	175666	-	61799	-	237465	9245	12863
रेलवे साइडिंग्स Railway Sidings	68,414	0	-	1,79,671	2,48,085	64993	-	170688	-	235681	3421	12404
संयंत्र एवं मशीनरी Plant and Machinery	1,00,71,900	(50,12,277)	0	20,328	50,79,951	9568305	-	7451	(4761664)	4814092	503595	265859
गैस टरबाईन Gas Turbine	1,66,015	-	-	57,542	2,23,557	157715	-	4770	-	162485	8300	61072
जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी Water System, Sewarage and Drainage - F.Y.	1,22,811	(17,838)	-	76,696	1,81,669	116670	961	72862	(16946)	173547	6141	8122
विविध उपकरण Misc. Equipments	87,182	(51,925)	0	0	35,257	82823	-	-	(49329)	33494	4359	1763
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture and Office Appliances	39,833	(11,983)	-	-	27,850	37845	1	-	(11384)	26462	1989	1388
परिवहन गाड़ियां Transport Vehicles	9,082	(5,257)	0	-	3,825	8627	-	-	(4995)	3632	455	193
	1,07,66,894	(50,99,280)	-	4,02,642	60,70,256	10228553	962	320409	(4844318)	5705606	538342	364650
पूंजीगत सामग्री Capital Stores	1,88,533	(27,472)	-	-	1,61,061	188533	-	-	(27472)	161061	-	-
योग (क)/Total (A)	1,09,55,427	(51,26,752)	-	4,02,642	62,31,317	10417086	962	320409	(4871790)	5866667	538342	364650

स्थायी परिसम्पत्तियाँ (जारी)
FIXED ASSETS (Continued)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

मूर्त परिसम्पत्तियाँ Tangible Assets	सकल खण्ड /Gross Block					संचित मूल्यह्रास/Accumulated Depreciation					निवल खण्ड/Net Block	
	01.4.2014 को बकाया Balance as at 01.04.2014	(निपटान) (Disposal)	वृद्धि Addition	पुनर्मूल्यांकन/ (छति) Revaluation/ (impairment)	31.03.2015 को बकाया Balance as at 31.03.2015	01.4.2014 को बकाया Balance as at 01.04.2014	वर्ष में मूल्यह्रास Depreciation charged for The Year	पुनर्मूल्यांकन केकारण समायोजन Adjustment due to revaluation	निपटान केलिए On Disposals	31.3.2015 को बकाया Blance as at 31.03.2015	31.3.2014 को बकाया Balance as at 31.03.2014	31.3.2015 को बकाया Balance as at 31.03.2015
(ख) अन्य परिसम्पत्तियां (टाउनशिप सहित) B) Other Assets (Including Township)												
भूमि पट्टे पर Land - Lease Hold	20,002	-	-	-	20,002	6300	179	-	-	6479	13702	13523
भूमि स्वामित्व पर Land – Free Hold	28989	-	-	-	28989	-	-	-	-	-	28989	28989
सड़कें एवं पुलिया Roads & Culverts	15437	-	-	11477	26914	13008	2075	11127	-	26210	2429	704
भवन Buildings	190619	-	-	283409	474028	165668	2072	68636	-	236376	24951	237652
जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी Water System, Sewarage and Drainage	39621	-	-	4702	44323	39450	41	3736	-	43227	171	1096
विविध उपकरण Misc. Equipments	7210	(7119)	-	-	91	7175	-	-	(7085)	90	35	1
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture and Office Appliances	2485	(2405)	73	-	153	2441	15	-	(2405)	51	44	102
संयंत्र एवं मशीनरी (कम्प्यूटर) Plant & Machinery (Computer)	343	-	315	-	658	187	169	-	-	356	156	302
विद्युत उपकरण संस्थापन- टाउनशिप Elect. Instt. Township	1317	-	-	-	1317	1316	-	-	-	1317	1	-
योग (ख)/Total (B)	306023	(9524)	388	299588	596475	235545	4552	83499	(9490)	314106	70478	282369
योग (क + ख)/Grand Total (A+B)	11261450	(5136276)	388	702230	6827792	10652631	5514	403908	(4881280)	6180773	608820	647019

अनुसूची-10
निवेश
NOTE – 10
INVESTMENTS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
व्यापारोत्तर निवेश (अनिवेदित लागत पर)	**Non-Trade Investments (At cost-unquoted)**		
कर्मचारी सहकारी स्टोर्स लि. में पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	Fully paid up equity shares in Employees Co-operative Stores Limited	15	15
आर.एफ.सी.एल. में पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर 10000	Fully paid up equity shares 10000 at RFCL	100	-
घटाएं : निवेश के मूल्य में कमी के लिये प्रावधान	Less : Provision for dimunition in value of Investments	10	10
		105	5

अनुसूची-11
नकद एवं नकद के बराबर
NOTE – 11
CASH & CASH EQUIVALENTS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		चालू नहीं/Non Current		चालू/Current	
		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014	31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
(क) बैंक में शेष	**(a) Balance with Banks**				
चालू खाता-I	Current Account I			10,594	11,821
चालू खाता-II	Current Account II				
(सुख-सुविधा राशि)	(Amenities Fund)	544	544		
(ख) नकद हाथ में	**(b) Cash in hand**			246	384
प्रेषण मार्गस्थ में	Remittance in transit				
(ग) अन्य	**(c) Others**				
मियादी जमा खाता	Fixed Deposit Accounts				
(सुख-सुविधा राशि)	(Amenities Fund)	6,447	6,024		
मियादी जमा खाता	Fixed Deposit Accounts			22,55,745	3,70,419
नो लियन फ्लैक्सी	No lien flexi				
जमा खाता	deposit account			1,01,770	1,14,660
नो लियन खाता	No lien Account			255	235
डाकघर में बचत	Deposits with Post Office				
खाते में जमा	Savings Bank				
(उत्पादशुल्क विभाग	Account (Pledged with				
के पास गिरवी)	Excise Deptt)	3,814	3,814		
		10,805	10,382	23,68,610	4,97,519

अनुसूची-12
ऋण एवं अग्रिम
NOTE – 12
LOANS & ADVANCES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		चालू नहीं/Non Current		चालू/Current	
		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014	31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured considered good				
(क) ऋण एवं अग्रिम	(a) Loans & advances				
गृह निर्माण ऋण	House Building Loan	31	31		
(ख) अग्रिम	(b) Advances				
पूर्तिकर्ता	Suppliers	12,378	12,378		
कर्मचारी	Employees	282	278	280	237
जमा	Deposits	867	867		
अन्य	Others	2,096	1,431	3,36,913	5,288
प्रतिबद्धता फीस (सेल, सी.आई.एल. और ई.आई.एल.)	Commitment fee (SAIL, CIL & EIL)	1,66,600	2,50,000		
पूर्व चुकता व्यय	Pre-paid expenses	-	-	632	416
किराये की देयता – दुकानदार/सरकारी बैंक, स्कूल आदि	Rental dues – Shopkeepers/PSU Banks, School etc.	24,032	23,836	2,010	1,761
पट्टे पर किराया-भूतपूर्व कर्मचारी	Lease Rent – Ex employees	6,317	5,470		
किराया, पानी और विद्युत शुल्क-पी.डी.आई. एल.	Rent/Water & Elec. Charges-PDIL	5,635	5,093		
पट्टे पर किराया – रेलवे साइडिंग	Lease Rent-Railway siding			403	393
सरकारी प्राधिकरण/अन्य के पास जमा	Deposit with Govt. Authorities/others	11,373	56,370		
जमा पर उपार्जित ब्याज	Interest accrued on deposits	106	64	63,881	20,967
प्राप्ति योग्य राशि :	Accounts receivable :				
आय कर	Income tax	38,361	27,582	-	-
प्राप्ति योग्य राशि (ए.सी.सी.)	Accounts receivable (ACC)			467	
प्राप्ति योग्य राशि (एन.एफ.एल.)	Accounts receivable (NFL)	62	62		
		2,68,140	3,83,462	4,04,586	29,062
संदिग्ध समझे गये	Considered Doubtful	1,08,940	1,02,573	-	-
घटाएं : संदिग्ध अन्य ऋण, अग्रिम के लिये प्रावधान	Less : Provision for doubtful other loans advances	1,08,940	1,02,573	-	-
		2,68,140	3,83,462	4,04,586	29,062

अनुसूची-13
वस्तु सूचियाँ
NOTE – 13
INVENTORIES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

			31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
क. कच्चा माल (लागत मूल्य पर)	a.	Raw Materials (Valued at Cost)	13,121	18,723
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान		Less : Provision for obsolescence	9,840	14,042
			3,281	4,681
ख. पैकिंग सामग्री (लागत मूल्य पर)	b.	Packing Materials (Valued at Cost)	3,359	3,359
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान		Less : Provision for obsolescence	3,359	3,359
			—	—
ग. तैयार माल (कम लागत मूल्य पर / निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित)	c.	Finished goods (valued at lower of cost /net realisable value)	—	13
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान		Less : Provision for obsolescence	—	13
			—	—
घ. स्टोर्स एवं स्पेयर्स (लागत मूल्य पर मूल्यांकित)	d.	Stores & Spares (Valued at Cost)	3,80,687	5,70,220
मार्गस्थ सामग्री		Goods in transit	4,595	4,662
सामग्री निरीक्षण में		Goods under inspecton	27	27
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान		Less : Provision for obsolescence	2,81,752	4,24,404
			1,03,557	1,50,505
कबाड़ (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित)		Scrap (valued at estimated realisable value)	10,512	14,430
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान		Less : Provision for obsolescence	10,512	14,430
			1,06,838	1,55,186

अनुसूची–14
व्यापारिक प्राप्ति योग्य
NOTE – 14
TRADE RECEIVABLES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
भुगतान वाले दिन से छः महीने से अधिक समय से बकाया जो व्यापारिक प्राप्ति योग्य है।	**Trade receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment**		
सुरक्षित खरे समझे गये	Secured Considered good	-	-
असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured considered good	571	204
संदिग्ध समझे गये	Considered Doubtful	1,86,484	1,87,250
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Less : Provision for doubtful debts	1,86,484	1,87,250
		571	204

अनुसूची–15

आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धता (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

NOTE – 15

CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (TO THE EXTENT NOT PROVIDED FOR)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

				31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
(I)	आकस्मिक देयताएं	(I)	Contingent Liabilities		
	कम्पनी के ऊपर दावे जिसे ऋण नहीं माना गया है:		Claims against the Company not acknowledged as debt :		
	बिक्री कर के लिये माँग		Demand for Sales Tax	2,76,081	2,76,081
	उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के लिये माँग		Demand for Excise duty/Customs	38,391	38,391
	बकाया पूरा किये जाने वाले ठेका की अनुमानित राशि		Estimated amount of Contract remaining to be executed	6,026	8,800
	मध्यस्थ के पास/ न्यायालय में लंबित निर्णय		Pending decision of Court/under Arbitration	1,12,564	1,19,408
	आयकर मांग निर्धारण वर्ष 09-10*		Income Tax demand A.Y. 09-10*	2,13,61,678	
	आयकर मांग निर्धारण वर्ष 12-13**		Income Tax demand A.Y. 12-13**	58,821	
	सेवाकर की पुनर्वापसी		Reverse charge of service tax	-	911
	कुल आकस्मिक देयताएं		Total Contingent Liabilities	2,18,53,561	4,43,591
(II)	प्रतिबद्धता	(II)	Commitments	-	-
				2,18,53,561	4,43,591

*Appeal has filed with (CIT) (A) on 11th October 2013. *सी.आई.टी.(ए) के समक्ष 11 अक्टूबर, 2013 को अपील फाइल किया है।

**Appeal has filed with (CIT) (A) on 22nd April 2015. **सी.आई.टी.(ए) के समक्ष 22 अप्रैल, 2015 को अपील फाइल किया है।

अनुसूची-16
अन्य आय
NOTE – 16
OTHER INCOME

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
ब्याज से आय	**Interest Income**		
बैंक में जमा	Bank Deposits	62	15
लघु अवधि जमा	Short Term Deposits	1,34,832	48,876
लघु अवधि जमा (नो लियन खाता)	Short Term Deposits (No lien account)	20	2,062
कर्मचारी सुख सुविधा कोष के लिये बैंक में जमा	Bank Deposits Workers Amenities Fund	520	467
घटाएं : कर्मचारी सुख-सुविधा कोष को स्थांतरित	Less : Transfer to Workers Amenities Fund	(520)	(467)
अन्य आय अप्रचलन से	**Other non-operating Income**		
किराया, विद्युत/जल शुल्क की वसूली	Recovery of Rent, Elec./Water charges	4,113	4,120
पट्टे के आवास के किराये की वसूली	Recovery of Lease Rent from Leased Accomdation	5,431	6,172
लाइसेंस फीस की वसूली	Recovery of License Fee	6,043	6.157
भूमि के किराये की वसूली	Recovery of Rent from Land	1,878	2,639
ए.सी.सी. से लाइसेंस फीस (रेलवे साइडिंग) की वसूली	Recovery of Licence Fee from ACC (Rly. Siding)	13,780	7,644
एन.एफ.एल. से प्राप्त मशीनरी का पट्टा किराया	Lease Rent of machinery received from NFL	805	1,380
पी.डी.आई.एल. से प्राप्त जल प्रभार	Water charges received from PDIL	1,231	463
अन्य आय	Misc. Income	964	1,210
अन्य लघु आय	Other Petty Income	321	1,130
टेंडर फीस की वसूली	Recovery of Tender Fee	25	5
पंखों के लिये वसूली	Recovery for Fans	4	1
प्राप्त किया गया जुर्माना	Penalty Recovered	34	22
सिलेंडर के किराये से आय	Rental Income from Cylinder	483	483
वापस लिया गया अधिक का प्रावधान	Excess Provision written-back	5,080	51,479
परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	Profit on sale of Assets	20,249	-
बागवानी उत्पाद और सूखी लकडी (लम्बी) की बिक्री पर	Sale of Horticultural Products and dry Logwoods	21	550
		1,95,376	1,34,408

अनुसूची-17
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय
NOTE – 17
EMPLOYEES BENEFIT EXPENSES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
वेतन एवं भत्ते	Salaries & Wages	9,137	10,047
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	327	374
वी.एस.एस. पर व्यय	Expenses on VSS	163	173
कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय	Staff Welfare Expenses	1,010	1,427
कर्मचारियों को आनुतोषिक	Gratuity to Employees	225	299
		10,862	12,320

अनुसूची-18
वित्तीय लागत
NOTE – 18
FINANCE COSTS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
अन्य ब्याज	Other Interest	74	36
		74	36

अनुसूची–19
प्रशासनिक व्यय
NOTE – 19
ADMINISTRATIVE EXPENSES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
निदेशकों का शुल्क	Director Fees	-	15
निदेशक यात्रा खर्चे	Director Travelling Expenses	50	-
विद्युत एवं जल प्रभार	Electricity Charges & Water	15,579	16,140
किराया	Rent	600	600
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repair & Maintenance	21,720	19,710
सुरक्षा व्यय	Security Expenses	59,165	47,548
बीमा	Insurance	476	383
दर एवं कर	Rates & Taxes	3,901	5,294
प्रतिधारितों को भुगतान	Payment to Retainers	6,454	5,998
वृत्तिक व्यय	Professional Expenses	7,214	4,124
विविध व्यय (फैक्ट्री)	Misc. Expenses (Factory)	2,077	1,026
विविध व्यय (प्रशासन)	Misc. Expenses (Admn.)	1,521	1,092
विविध व्यय (कम्प्यूटर)	Misc. Expenses (Computer)	52	58
किराये के वाहन का प्रभार	Hire charges of Vehicles	1,162	957
ई पी एफ का निरीक्षण प्रभार	Inspection charges of EPF	16	11
बैंक प्रभार	Bank charges	28	28
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ	News papers & periodicals	23	29
गैस्ट हाऊस प्रभार	Guest House Expenses	130	207
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	Printing & Stationery	664	519
डाक एवं टेलीग्राम	Postage and Telegram	90	82
टेलीफोन, फैक्स आदि	Telephone, Fax etc.	673	672
यात्रा पर व्यय	Travelling Expenses	1,838	1,752
वाहनों के आवागमन पर व्यय	Running expenses on vehicles	475	581
सत्कार व्यय	Entertainment Expenses	99	143
विज्ञापन	Advertisement	166	-
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Provisions for Doubtful Debts	6,456	1,129
ऋण जो बट्टे खाते डाला गया	Bad Debts written off	83,400	-
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	Loss on Sale of Assests	-	82
		2,14,029	1,08,180

अनुसूची-20

लेखा परीक्षकों को भुगतान

NOTE – 20

PAYMENT TO AUDITORS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
लेखा परीक्षा शुल्क	Audit Fee	204	204
टैक्स लेखा परीक्षा शुल्क	Tax Audit Fees	40	40
सेवा कर	Service Tax	34	30
		278	274

अनुसूची-21

पूर्व अवधि मदें

NOTE – 21

PRIOR PERIOD ITEMS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.2014
व्यय	**Expenditure**		
वेतन एवं भत्ते	Salary and Wages	659	16
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repairs & Maintenance	-	-
बिजली एवं ईंधन	Power & Fuel	-	-
अन्य व्यय	Other expenses	9,218	1,525
		9,877	1,541
आय	**Income**		
अन्य विविध आय	Other Misc. Income	47	119
		47	119
		39,830	1,422

अनुसूची/NOTE-1

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिये तुलन-पत्र का भाग है।

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में, पिछली नीति की तुलना में जिनका लगातार अनुसरण किया जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हैं।

I. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण भारत में लागू लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सभी पहलुओं का अनुपालन करते हुये, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में अधिसूचित लागू लिखांकन मानकों के अनुसार और कंपनी अधिनियम 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार बनाये जाते हैं।

एफ.सी.आई.एल. की बन्द इकाइयों के पुनरूज्जीवन के संबंध में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सी.सी.ई.ए.) के दिनांक 9.5.2013 के निर्णय के लागू होने पर लेखों को चालू संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है।

II. राजस्व मान्यता

अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, आय/व्यय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी गई है।

III. स्थाई परिसम्पत्तियां

क) स्थायी परिसम्पत्तियों का उल्लेख उनके ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS, FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015.

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

There is no change in significant accounting policies as compared to previous policy which are consistently followed.

I. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Financial Statements are prepared to comply in all material aspects with the applicable accounting principles in India, the applicable accounting standards notified under section 133 of the Companies Act 2013 and the relevant provision of the Companies Act 2013.

Accounts have been finalized on the basis of going concern basis after implementation of the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs' (CCEA) dated 9.5.2013 on revival of closed units of FCIL.

II. REVENUE RECOGNITION

Income / expenditure is recognised on accrual basis unless and otherwise stated.

III. FIXED ASSETS

a) Fixed Assets are stated at Historical Cost.

ख) परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण उनके पूरा होने तथा उपयोग में आने के प्रमाणपत्र के बाद किया जाता है।

ग) अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा नि:शुल्क दी गयी भूमि को नाममात्र की लागत और/या उसके अधिग्रहण के समय हुये प्रासंगिक व्यय के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। यह भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग के निदेशों के अनुसार है।

घ) उन मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जों, जिनका उपयोग अनियमित है तथा एक संयंत्र के साथ जुड़ा है, का पूंजीकरण लेखा मानक-2 (संशोधित) के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

ङ) अमूर्त परिसम्पत्ति केवल उसे माना गया है जहाँ यह समझा गया है कि भविष्य में कम्पनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और लागत व व्यय को विश्वास पूर्वक मापा जा सकता है।

च) सेवामुक्त संयंत्र एवं मशीनरी एवं अन्य परिसम्पत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य का 95 प्रतिशत तक मूल्य ह्रासित किया जाता है तथा 5 प्रतिशत को बकाया कीमत के रूप में दर्शाया जाता है।

IV. निवेश

दीर्घ अवधि के निवेशों को लागत पर लिया जाता है। इस प्रकार के निवेश के मूल्य में घटत को, अस्थायी को छोड़ कर लिया जाता है और प्रावधान किया जाता है।

V. मूल्यह्रास

क. 5000/- रु. मूल्य तक की परिसम्पत्तियों को सम्मिलित किये जाने के वर्ष में ही पूरी तरह मूल्यह्रासित कर दिया जाता है।

ख. मूल्यहास और परिशोधन सम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी रहने की दशा के ऊपर स्ट्रेट लाईन पद्धति

b) Assets are capitalized after they are certified to be complete and put to use.

c) Land given free of cost by State Governments and other authorities is capitalised at normal cost and / or on the basis of incidental expenditure as per the guidelines given by the Department of Public Enterprises, Government of India, unless otherwise stated.

d) Machinery spares whose use are expected to be irregular and could be identified with the plant are capitalized in pursuance with provisions of Accounting Standard – 2 (Revised).

e) Intangible Asset is recognised only in case of probability that future Economic Benefits will flow to the Company and the cost and expenses could be measured reliably.

f) Retired Plant and Machinery and other assets are depreciated up to 95% of the original cost and 5% are shown as residual value.

IV. INVESTMENT

Long term investments are carried at cost. Declined, other than temporary, in the value of such investment, is recognised and provided for.

V. DEPRECIATION

a) Assets costing up to Rs.5000/- are fully depreciated in the year of addition.

b) Depreciation and amortization is provided on a pro-rata basis on the straight-line

पर समानुपातिक आधार पर प्रदान की जाती है।

ग. सेवामुक्त संयंत्र एवं मशीनरी एवं अन्य परिसम्पत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य का 95 प्रतिशत तक मूल्यह्रासित किया जाता है तथा 5 प्रतिशत को बकाया कीमत के रूप में दर्शाया जाता है।

घ. पट्टे की भूमि को पट्टे की अवधि के पश्चात ऋणमुक्त कर दिया जाता है।

VI. वस्तुसूचियां

वस्तुसूचियों की वर्तमान कीमत जिसमें कच्चामाल, स्टोर्स एवं स्पेयर्स शामिल हैं, को लागत का 25% लिया गया है। तैयार माल, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट, उपयोग योग्य भंडार, चिकित्सा भंडार एवं कबाड़ को लागत के 100% पर प्रावधान किया गया है। इस प्रकार वस्तुसूचियों के सभी मदों की किमत लागत पर निकाला गया है जो कि जहाँ भी लागू हो, अप्रचलन या घटत के प्रावधान के बाद निकाला गया है, केवल प्लेटिनम को छोड़ कर, जो कि स्टोर में प्लांट द्वारा बिना उपयोग के रखा हुआ है, जिसकी कीमत 175 लाख रूपये है, ऐतिहासिक लागत और इसके घटत के लिए प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इस विशेष मद की कीमत बाजार में बढ़त वाली एवं परिवर्तनशील है।

VII. कर्मचारी लाभ

i. लघु अवधि कर्मचारी लाभ

लघु अवधि कर्मचारी लाभ में आनुतोषिक, वेतन, भत्ते, भविष्यनिधि में अंशदान, देय बीमारी अवकाश, देय वार्षिक अवकाश, आर्थिक लाभ जैसे कि चिकित्सा सुविधा और गैर आर्थिक लाभ जैसे कि वर्तमान कर्मचारियों को मकान, को लेखों में वर्तमान खर्चों में लिया गया है।

method over the estimated useful lives of the assets.

c) Retired plant and Machinery and other assets are depreciated up to 95% of the original cost and 5% are shown in the books as residual value.

d) Lease hold land amortised over the period of lease.

VI. INVENTORIES

The current value of inventories including raw materials, stores and spares are considered at 25% of the cost. Inventories of finished goods, packing materials, chemicals, catalysts and consumable stores, medical stores and scrap are provided at 100% of the cost. Thus, all the items of the inventories are valued at cost after providing for cost of obsolescence or depletion in the value wherever applicable exception to Platinum which is lying in stores as unconsumed by the plants valued at Rs. 175 lakh (Historical Cost) for which no provision for depletion are made because this particular item has appreciable value in the market which is variable.

VII. EMPLOYEES BENEFITS

i. Short Term Employees' Benefits

Short term employees' benefits such as Gratuity, salary, wages, contribution to Provident Fund, paid sick leave, paid annual leave, monetary benefits, such as, medical care and non monetary benefits like houses for current employees are charged off in accounts as current expenditure.

ii. सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति से पूर्व लाभ संबंधी रोजगारान्तर देयताएँ जैसे आनुतोषिक निधि में अंशदान और उपार्जित छुट्टियों के नकदीकरण के लिये प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और लाभ एवं हानि लेखा में डाला जाता है।

VIII. पूर्व चुकता व्यय

25000/- रुपये मूल्य तक के प्रत्येक पूर्व चुकता व्यय को उसी वर्ष में लेखित किया जाता है जिसमें वह व्यय किया गया हो।

IX. तीन वर्ष से अधिक पुराने साधारण प्राप्ति योग्य को संदिग्ध ऋण के रूप में प्रवधान करना है।

ख. लेखों पर टिप्पणियां

1. कम्पनी के पुनरूज्जीवन के संबंध में सी.सी.ई.ए. के दिनांक 9 मई, 2013 के निर्णय को उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने अपने संदर्भ सं 18055/13/2012- एफ सी ए-1, दिनांक 21 मई, 2013 के साथ सी.सी.ई.ए. के निर्णय के सारांश को संलग्न करते हुये सूचना एवं उचित कार्यवाही के लिए भेजा है। अनुमोदन की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:-

i. मार्च 2012 तक भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने की स्वीकृति। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में लेखों से भारत सरकार के ऋण और ब्याज को हटा दिया गया है। अत: भारत सरकार के ऋण पर ब्याज के प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी।

ii. एफ.सी.आई.एल. की निवल पूँजी को धनात्मक बनाने के लिये, पुनरूज्जीवन में भागीदार सार्वजनिक ऊॅमों, ई.आई.एल., सी.आई.एल. और सेल की वचनबद्धता फीस के 25 करोड़ रूपये एफ.सी. आई.एल. को देने के लिये निदेश देने की स्वीकृति।

ii. Retirement Benefits

The liability towards post-retirement benefits, i.e., contribution to gratuity fund, provision for encashment of accumulated leaves are made on actual basis and charged to Profit & Loss statement.

VIII. PREPAID EXPENSES

Prepaid expenses up to Rs.25,000 in each case is accounted for in the year in which they are incurred.

IX. In general receivables for more than three years old to be provided as doubtful debts.

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, vide their Ref. No.18055/13/2012-FCA-I dated 21st May, 2013 communicated the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on 9th May 2013 with regard to revival of the Company, enclosing therewith a 'Gist of CCEA decisions' for information and appropriate action. The salient features of the approval are as under:

I. Approved waiver of GOI loan and interest upto March 2012. Accordingly, the GOI loan and interest have been withdrawn from the books in FY 2012-13. Hence there was no requirement to provide any interest on GOI loan.

II. Approved that direction to be given to EIL, CIL & SAIL, and the participating PSUs in the revival to make the payment of Rs. 25 Crore towards commitment fees to FCIL to make the net worth of FCIL positive.

iii. समझौते के अनुसार उनके बकाया का एफ.सी.आई.एल. के लेखों के आधार पर 30% के एकमुश्त समझौते को मंजूरी। ये लेनदार एन.पी.डी.सी.एल., एस.सी.सी.एल., बी.एच.ई.एल. सी.डब्लू.सी., और आई. ओ.सी. हैं।

iv. मै0 डी.वी.सी. और सी.आई.एस.एफ. को 31.03.2003 तक की मिलान कर ली गयी देयता को देना और 31.3.2003 से पूर्व लगाये गये ब्याज अथवा जुर्माना को माफ करना ।

v. सी.सी.ई.ए./केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार वर्तमान में तलचर एकक में गेल, आर.सी.एफ. और सी.आई.एल. के द्वारा और रामागुण्डम एकक में एन.एफ.एल. और ई.आई.एल. द्वारा नोमिनेशन विधि से तथा सिन्दरी एकक और गोरखपुर एकक में बिडिंग विधि से (अंतराष्ट्रीय बिडिंग विधि से) पुनर्जीवन प्रक्रिया पूरे गति में है।

III. Approved OTS at 30% of their dues as per FCIL books of accounts, as agreed by them. These creditors are NPDCL, SCCL, BHEL, CWC and IOC.

IV. The dues of M/s DVC and CISF would be paid as reconciled as on 31st March 2003 with waiver of any interest or penalty imposed before 31st March 2003.

V. Presently revival process is in full swing at Talcher Unit by GAIL, RCF & CIL and at Ramagundam Unit by NFL and EIL (under nomination route) and Sindri Unit & Gorakhpur Unit by bidding route (under Global bidding route) as approved by CCEA / Union Cabinet.

2. सरकारी परिसमापक के पास जमा 5 करोड़ रूपये की स्थिति

i. दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 11.08.2006 के आदेश के अनुसार कम्पनी ने 5 करोड़ रूपये जमा किये थे।

ii. यह राशि एक लाख रूपये तक के असुरक्षित लेनदारों के बकाया को देने के लिये जमा किया गया था। असुरक्षित लेनदारों की सूची सरकारी परिसमापक को भी उपलब्ध करायी गयी थी।

iii. कम्पनी का निवल मूल्य धनात्मक हो जाने के उपरान्त माननीय बी.आई.एफ.आर. ने 27.06.2013 की सुनवाई में कम्पनी को सिका 85/बी.आई.एफ.आर. के कार्यक्षेत्र से मुक्त करने का आदेश दिया था और एककों के पुनरूज्जीवन पर सी सी ई ए/केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

2. Status of Deposit of Rs. 5.00 crore with Official Liquidator

i) As per the order of Hon'ble High Court of Delhi dated 11.08.2006 a sum of Rs. 5.00 crore was deposited by the company.

ii) The amount was deposited for clearing the dues of un-secured creditors whose claims were up to Rs.1.00 lakh. A list of unsecured creditors was also furnished to the office of official liquidator (OL).

iii) Consequent upon the net worth of the company becoming positive, the Hon'ble BIFR in its hearing held on 27.06.2013 ordered de-registering of the company from the purview of SICA 85'/ BIFR and the revival of the Units is being followed up by CCEA / Union Cabinet.

iv. एफ.सी.आई.एल. के बी.आई.एफ.आर. के कार्यक्षेत्र से मुक्त हो जाने के कारण कम्पनी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन किया था और माननीय न्यायालय ने 7.2.2014 के अपने आदेश में निदेशित किया है कि सरकारी परिसमापक द्वारा खर्च की गयी सारी राशि को काट कर, सरकारी परिसमापक के पास जमा शेष राशि निवेदक कम्पनी को वापस कर दिया जाये।

v. एफ.सी.आई.एल. ने अपने दिनांक 25.3.2014, 22.5.2014, 16.7.2014, 17.7.2014 और 22.7.2014 के पत्रों के द्वारा बकाया राशि को वापस करने तथा जिन्हें भुगतान कर दिया गया है उन पार्टियों की सूचि उपलब्ध कराने के संबंध में सरकारी परिसमापक से संपर्क बनाये रखा था।

vi. सरकारी परिसमापक से यह भी निवेदन किया गया था कि वर्ष 2006 से अब तक एफ.सी.आई.एल. की जमा राशि पर प्रति वर्ष प्राप्त ब्याज का ब्यौरा भी उपलब्ध कराया जाये।

vii. एफ.सी.आई.एल. ने सरकारी परिसमापक से 5 करोड़ रूपये के मूल जमा पर 6.22 करोड़ रूपये, 1.22 करोड़ रूपये के ब्याज सहित और 0.17 करोड़ रूपये के समायोजन के पश्चात जो कि असुरक्षित देनदारों को सरकारी परिसमापक द्वारा भुगतान किया गया, प्राप्त कर लिया है। इसके लिये समायोजन की प्रविष्टि लेखा बहियों में वर्ष में डाल दी गयी है।

3. तीनों नामित सरकारी उद्यमों, सेल, सी.आई.एल. और ई.आई.एल. द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता फीस की स्थिति

i. एफ.सी.आई.एल. को वचनबद्वता फीस के 8.33 करोड़ रूपये के भुगतान के संबंध में तीनों कम्पनियों से निवेदन किया गया था।

ii. सी.सी.ई.ए. द्वारा 9.5.2013 के अनुमोदन के अनुसार एफ.सी.आई.एल. ने तीनों सरकारी उद्यमों से

iv) In view of the de-registration of the FCIL from purview of BIFR, the company moved an application before the Hon'ble High Court and Hon'ble Court vide orders dated 07.02.2014 has directed that the balance amount lying with the official liquidator be returned to the applicant company, after deducting all expenses incurred by Official Liquidator.

v) FCIL has followed with the OL office vide letters dated 25.3.2014, 22.5.2014, 16.7.2014 17.07.2014 and 22.7.2014 to return the balance amount along with the list of parties to whom payment has been made.

vi) Official Liquidator was also requested to provide a statement indicating year wise interest credited on the deposit of FCIL in the year 2006 till date.

vii) An amount of Rs. 6.22 Crore including interest of Rs.1.22 Crore and adjustment of Rs.0.17 Crore paid to the unsecured creditors by Official Liquidator (against original deposit of Rs.5.00 Crore) received by FCIL from Official Liquidator. Adjustment entry for the same has been passed in the books of accounts during the current year.

3. Status of commitment fee to be paid by the three nominated PSUs namely SAIL, CIL and EIL

i) As regards to payment of commitment fee by the three PSUs , they were requested to pay Rs.8.33 crore each to FCIL.

ii) FCIL made a request to three PSUs to release the commitment fee as approved

वचनबद्वता फीस के भुगतान करने के लिये निवेदन किया था और उसी कारण इस राशि को एफ.सी.आई.एल. के वर्ष 2012-13 के लेखों में प्राप्ति योग्य आय के रूप में दर्शाया गया है।

iii. ई.आई.एल. ने 25.6.2013 को संदेश दिया था कि उनके बोर्ड ने एफ.सी.आई.एल. को प्रतिबद्वता फीस के 8.33 करोड़ रूपये देने की स्वीकृति दे दी है। चूँकि अदायगी नही हो रही थी अत: सचिव (उर्वरक) ने 7.3.2014 को सचिव (एम.ओ.पी.एन.जी.) से बात की जिससे ई.आई.एल. पर दबाव डाला जा सके ताकि वह भुगतान कर दे।

एफ.सी.आई.एल. के अ.प्र.नि. ने ई.आई.एल. के अ.प्र.नि. को 17.4.2014 के पत्र द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही करने का प्रयास किया है।

iv. `चूँकि सी.आई.एल. से अदायगी नही हो रही थी अत: सचिव (उर्वरक) ने 7.3.2014 को सचिव (कोयला) से प्रतिबद्वता फीस एफ.सी.आई.एल. को भुगतान के लिये बात की जिससे सी.आई.एल. पर दबाव डाला जाये। सलाहकार (कोयला) ने 13.5.2014 को सूचित किया कि सी.आई.एल. बोर्ड ने अपनी 306 वीं बैठक में एफ.सी.आई.एल. को प्रतिबद्वता फीस के भुगतान करने की स्वीकृति दे दी है।

एफ.सी.आई.एल. के अ.प्र.नि. ने अपने दिनांक 17.04.2014 के पत्र द्वारा सी.आई.एल. के अ.प्र.नि. से अनुवर्ती कार्यवाही करने का प्रयास किया है।

निदेशक (वित्त) ने भी 13 जुलाई 2015 को ई.आई.एल. और सी.आई.एल. को तुरन्त भुगतान करने के लिये जोर देते हुये पत्र लिखा है।

इस संबंध में वर्तमान स्थिति यह है कि एफ.सी.आई.एल. द्वारा बारम्बार स्मरण पत्र देने के बाद भी तीनों पी.एस.यू. में से किसी ने भी वचनबद्वता

by CCEA on 09.05.2013 as the amount has been shown as receivable income in the books of FCI in the annual accounts for the year 2012 -13.

iii) EIL communicated on 26.05.2013 that their Board has approved the payment of Rs.8.33 Crore to FCIL as commitment fee. Since that payment was not forth coming, Secretary (F) took up the matter on 7.03.2014 with Secretary MOPNG to impress upon EIL to release the payment.

CMD, FCIL followed up the matter vide letter dated 17.04.2014 to CMD, EIL.

iv) Since payment from CIL was not forth coming, Secretary (F) took up the matter on 07.03.2014 with Secretary (Coal) to impress upon CIL to pay the commitment fee to FCIL. Advisor (Coal) informed on 13.05.2014 that CIL Board has approved the payment of commitment fee to FCIL in their 306th meeting.

CMD FCIL followed up the matter vide letter dated 17-04-2014 to CMD, CIL, enclosing copies of all relevant letters.

Director (Finance) also wrote to them on 13th July 2015 impressing upon to EIL and CIL to release the payment at the earliest.

Present status of the matter is that the commitment fee has not been released by any of the three PSUs in-spite of repeated reminders given by FCIL. Further reminders

फीस का भुगतान नहीं किया है। अब ई.आई.एल. और सी.आई.एल. को 15.7.2015 को स्मरण-पत्र भेजा गया है।

जैसा कि सेल ने सिन्दरी एकक को पुनर्जीवित करने के कार्य को वापस ले लिया है और केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 20.5.2015 को सिन्दरी एकक को बिडिंग रूट से पुनर्जीवित करने के लिये अनुमोदन किया है, सेल से मिलने वाले 8.34 करोड रूपये को वर्ष 2014-15 में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वापस ले लिया गया है।

ग. स्थायी परिसम्पत्तियाँ तथा पूंजीगत चालू कार्य

1. कुल 6652.61 एकड़ भूमि में से बिहार (अब झारखंड) सरकार से नि:शुल्क में प्राप्त 112 एकड़ का, लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार, कल्पित मूल्य 14.11 लाख रूपये लगाया गया है।

2. कोरबा में 907 एकड़ भूमि 1974 और 1980 में सरकार से नि:शुल्क प्राप्त हुई है इसके अतिरिक्त 29 एकड़ पूर्ण स्वामित्व वाली और 7 एकड़ निजी भूमि एफ.सी.आई.एल. द्वारा अर्जित किया गया है। लेकिन वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 258 एकड़ भूमि कम्पनी/उर्वरक विभाग की स्वीकृति के बिना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड को आबंटित कर दी है। भूमि आदि के संबंध में उर्वरक विभाग ने अपने पत्र सं. 18021/02/2005- एफ. सी. आई. दिनांक 25 नवम्बर, 2011 के द्वारा कोरबा के पुनरूज्जीवन के लिए भूमि के प्रयोग एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से 'सुविधा पत्र' माँगा है।

3. लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार अनुमानित 18.64 लाख रुपये मूल्य की भूमि जो कि ओडिशा सरकार से नि:शुल्क प्राप्त हुई है को लेखों में आरक्षित पूँजी में लेखित किया गया है।

4. तलचर में पुनरुज्जीवन संबंधी अन्तिम निर्णय के होने तक एक आपसी समझौता व्यवस्था के अंतर्गत एच. डब्ल्यू. पी.

have been sent to EIL and CIL on 15.07.2015.

Rs.8.34 Crore receivable from SAIL has been withdrawn during the year 2014-15 as approved by the competent authority, as SAIL has been withdrawn from revival of Sindri Unit and Union Cabinet has approved revival of Sindri Unit through "bidding route" on 20.05.2015.

C. FIXED ASSETS AND CAPITAL WORK IN PROGRESS

1. Out of total land of 6652.61 acres, 112 acres received from State Govt. of Bihar (now Jharkhand) free of cost has been notionally valued at Rs. 14.11 lakh as per guidelines of Bureau of Public Enterprises.

2. Land measuring 907 acres of Korba has been received in 1974 and 1980 free of cost from the State Govt. In addition 29 acres of free hold and 7 acres of private land acquired by FCIL. However, in the year 2005 Govt. of Chhatisgarh has allotted 258 acres of land to Chhatisgarh Electricity Board without obtaining permission from the company/DoF vide DO No. 18021/02/2005-FCI Dated 25.11.2011 DOF sought a letter of comfort from the Govt. of Chattisgarh with regard to the land use and other facilities for the revival of Korba.

3. As per the guidelines of Department of Public Enterprises, land notionally valued at Rs. 18.64 lakh received free of cost from Govt. of Orissa was taken into books through capital reserve value.

4. At Talcher 202 quarters have been given to Heavy Water Plant in exchange of 344 quarters

को दिये गये 202 मकानों के बदले में एच. डब्ल्यू. पी. से 344 मकान प्राप्त हुए हैं। इसका लेखों में समायोजन नहीं किया गया है।

5. गोरखपुर में निगम को अपनी परियोजना को स्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसम्बर 1963 से मार्च 1970 तक 993 एकड़ भूमि को अर्जित और आबंटित किया था जिसमें से 40% अर्जित मूल्य जिसकी कीमत 21.78 लाख रुपये आंकी गयी थी का भुगतान एफ.सी.आई.एल. द्वारा सरकार को कर दिया गया था तथा शेष 60% जिसकी कीमत 332.67 लाख रुपये आंकी गयी थी निगम को उपहार स्वरूप दी गयी थी।

6. रामागुण्डम में 1971 से 1989 तक के वर्षो में 1284.04 एकड़ भूमि उपलब्ध/प्राप्त हुई है। राज्य सरकार से नि:शुल्क प्राप्त भूमि का मूल्यांकन 4.59 लाख रूपये के कल्पित मूल्य पर किया गया है। लोक उद्यम विभाग के दिशा निदेश के अनुसार लेखों में आरक्षित पूँजी के अंतर्गत प्रविष्टि डाल दी गयी है।

7. नोएडा में एफ.सी.आई.एल. को 90 वर्ष के पट्टे पर 24 मई, 1989 को 4261.16 वर्ग मीटर के एक प्लाट का आबंटन किया गया था। यह प्लाट ए-11, सैक्टर-1, नोएडा में है। यह भूमि प्रत्यक्ष रूप में एफ.सी.आई.एल. के कब्जे में है।

8. डी ओ एफ और एम एच ए (गृह मंत्रालय) के बीच हुये दिनांक 5.2.2004 के एम ओ यू के अंतर्गत गोरखपुर में कुछ भवन और मकान एस एस बी जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है को हस्तांतरित किये गये थे। गृह मंत्रालय ने पहले संकेत दिया था कि उन्हें यह सम्पत्ति लम्बी अवधि के लिये नहीं चाहिए और वे इन सम्पत्तियों को खाली कर देंगे। एस.एस. बी. ने गोरखपुर यूनिट को नहीं छोड़ा है।

9. सिन्दरी में कुछ भवन और उपस्कर फिटिंग सहित जो कि वहाँ लगे हुये थे को सी.आर.पी.एफ. जो कि एम.एच.ए. के अंतर्गत है, को 7.2.2004 से 31.3.2007 तक, सक्षम

received from HWP under mutual agreed arrangement subject to final decision on revival. Accordingly, no adjustment for the same has been carried out in the books.

5. At Gorakhpur, Govt. of Uttar Pradesh acquired and allotted to FCIL 993 acres of land during December 1963 to March 1970 for its project out of which 40% of acquisition cost valued at Rs. 21.78 lakh had been paid to the Government by FCIL and the balance 60% valued at Rs.332.67 lakh was given to the company.

6. At Ramagundam, 1284.04 acres of land is available / received in various years from 1971 to 1989. The land received from State Govt. free of cost notionally valued at Rs.4.59 lakh. As per guideline of DPE an entry of the same has been passed in the accounts through capital reserve.

7. At NOIDA a plot measuring 4261.16 sq. mtrs. was allotted to FCIL on 24th May 1989 on lease basis for 90 years. The plot is located at A-11, Sector -1, NOIDA. The land is physically in the possession of FCIL.

8. At Gorakhpur certain building and quarters have been transferred to SSB in terms of MOU under Ministry of Home Affairs dated 5.2.2004 between DOF and MHA. MHA had indicated earlier that they would not need these properties on long term basis and they would vacate these properties. The SSB has not yet moved out of Gorakhpur Unit.

9. At Sindri certain buildings along with equipments and fittings installed thereon have been handed over to CRPF under MHA during

प्राधिकारी की स्वीकति पर, सुरक्षित अभिरक्षण और उनके उपयोग के लिये हस्तांतरित किये गये थे। भारत सरकार ने एकक के पुनरूज्जीवन का निश्चय किया है। अतः एम.एच.ए. को भवन उपलब्ध नहीं किये जायेंगे। साथ ही, सी.आर.पी.एफ. ने भी छोड़ने का निश्चय कर लिया है तथा अधिकतर भवन वर्ष 2011-12 में खाली कर दिये है।

घ. चालू देयताएं एवं प्रावधान

1. चालू देयताओं में उन 13 कर्मचारियों के स्वैच्छिक प्रथक्करण योजना क्षतिपूर्ति के 168.53 लाख रुपये (पिछले वर्ष 217.56 लाख रुपये) शामिल हैं जिनका वी.एस.एस. का आवेदन स्वीकृत हो गया है परन्तु जिन्हें कार्य की आवश्यकता के कारण 31.03.2015 तक कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है। इन कर्मचारियों की सेवामुक्ति के समय 31.03.2015 को प्रावधान की गयी देयता तथा वास्तविक भुगतान में आये अन्तर को इन कर्मचारियों के वास्तविक सेवामुक्ति के बाद लेखित किया जायेगा।

2. विविध लेनदार में स्वीकार न किये गये 5.23 लाख रुपये शामिल हैं जो कि गोरखपुर एकक के 9 कर्मचारियों जिन्होंने वी. एस. एस. नहीं अपनाया है और जिनकी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत सेवा समाप्त कर दी गयी थी, को आनुतोषिक एवं अर्जित अवकाश आदि का चैकों द्वारा भुगतान के संबंध में है।

ङ निवेश

वर्ष के अन्दर एफ.सी.आई.एल. ने 100,000/- रूपये का भुगतान कर मैसर्स रामागुण्डम फार्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर में निवेश किया है।

च. विविध

1. निदेशक मंडल की राय है कि सामान्य व्यापार स्थिति में चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य

the period 7.2.2004 till 31.3.2007 in terms of MOU dated 5.2.2004 entered between DOF and MHA for safe custody and use by them with an intention to transfer subject to approval of competent authority. Govt. of India has since decided to revive the Unit and hence MHA would not be provided with the buildings. Meanwhile, CRPF also decided to move out and most of the buildings have been vacated by CRPF during the year 2011-12.

D. CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

1. Current liability includes an amount of Rs. 168.53 lakh (previous year Rs. 217.56 lakh) in respect of VSS compensation for 13 employees, whose request for VSS has been accepted but they have not been released by 31.03.2015 due to exigencies of work. Any difference in actual payment compared to liability provided as on 31.03.2015 will be accounted for after release of these employees.

2. Sundry creditors include a non-accepted amount of Rs.5.23 lakh in respect of payment by cheque towards gratuity and earned leave etc. for nine employees of Gorakhpur Unit who did not opt for VSS and were terminated as per Industrial Disputes Act, 1947.

E. INVESTMENTS

During the year FCIL has made the payment of Rs. 100,000/- for the investments in the Equity Shares of M/s. Ramagundam Fertilizer & Chemicals Limited, Ramagundam.

F. MISCELLANEOUS

1. In the opinion of the Board, Current Assets, Loans & Advances have a value on realisation

कम से कम वित्तीय विवरण में दर्शाये गये मूल्य के बराबर तो है ही।

in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the financial statements.

2. निगम के बन्द होने के निर्णय के कारण निगम को लागत लेखा रिकार्ड उर्वरक नियम 1993 के अर्न्तगत रखे जाने वाले लागत रिकार्डों को बनाने से मुक्ति मिल गयी है तथा इसके लिये सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति अभी मिलनी बाकी है।

2. In view of the decision for stoppage of operation of fertilizer units of the Company, exemption for maintaining cost records, "Cost Accounting Records" under the Fertilizer Rules 1993, has been sought from appropriate authority, for which approval is yet to be received.

3. विविध देनदारों, कर्मचारियों, ऋणदाता एवं अन्य से अधिशेषों की पुष्टि नहीं हुई है। लेखों में विसंगति, यदि कोई हो तो, के संबंध में अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता।

3. Balances of sundry debtors, employees and others are unconfirmed. Discrepancies, if any, on the account are not ascertainable.

4. बिक्री कर का निर्धारण (जो सुनवाई के लिये लंबित है को छोड़कर) 2009-10 तक पूरा कर लिया गया है।

4. Assessment of sales tax (other than those which are pending under appeal) is completed up to 2009-10.

5. कार्पोरेट निर्धारण, वर्ष 2012-13 तक पूरा कर लिया गया है। केवल उन्हे छोडकर जो अपील में अनिर्णीत हैं।

5. Corporate Assessment is completed up to assessment year 2012-13 other than those which are pending under appeal.

6. भारत सरकार के वर्ष 2002 में उत्पादन गतिविधि को बन्द करने और वी. एस.एस. के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवामुक्त करने के निर्णय के कारण तथा बी.आई. एफ. आर. द्वारा जारी दिनांक 17.5.2004 के बन्द करने के संस्तुति के अंतर्गत वर्ष के दौरान सभी इकाइयाँ अप्रचलन में रही हैं तथा वर्ष में स्थायी परिसम्पत्तियों और वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

6. In view of GOI decision to close manufacturing operations in the year 2002 and release of employees on VSS and the winding up recommendation issued by BIFR vide order dated 17.05.2004, all units remained non-operational during the year. Therefore, no physical verification of fixed assets and inventories could be carried out.

7. कोई प्रचलन गतिविधि न होने के कारण कम्पनी द्वारा राशि का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि माइक्रो, लघु एवं मघ्यम उद्यम, माइक्रों, लघु एवं मघ्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत आते है।

7. In the absence of any operational activity, the Company has not determined the amount due to Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006.

8. उपयोग में हो सकने वाली परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन (भूमि एवं पौधारोपण को छोड कर)

8. Assets Revaluation of Usable Assets (Except Land and Plantation)

तलचर एवं रामागुण्डम एकाकों में स्थायी परिसम्पत्तियों

In Talcher and Ramagundam Unit the effect of revaluation of fixed assets in the financial books

के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को वित्तीय लेखों में ले लिया गया है। तलचर और रामगुण्डम एककों के उपयोग में हो सकने वाली स्थायी परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन पी.डी.आई.एल. द्वारा क्रमशः अक्टूबर 2012 और नवम्बर 2014 में किया गया है। तलचर और रामागुण्डम के स्थायी परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का प्रभाव 20.62 करोड़ रूपये और 9.21 करोड़ रूपये (निवल मूल्यह्रास का) है।

9. अनुपयोगी परिसम्पत्तियों की बिक्री

सी.सी.ई.ए. के दिनांक 9.5.2013 के अनुमोदन के अनुसार तलचर और रामगुण्डम में उपयोग में न आने वाली अपनी परिसम्पत्तियों को एम.एस.टी.सी. और पी.डी.आई.एल. की सहायता से क्रमशः 112.18 करोड़ रूपये और 126.95 करोड़ रूपये में बेच दिया है और वर्ष में प्राप्त बिक्री राशि को वर्ष में लेखा खातों में ले लिया गया है।

छ. संबंधित पार्टी विवरण

(i) महत्वपूर्ण प्रबंधन वैयक्तिक

1) श्री सुशील कुमार लोहानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 01.07.2014 से अब तक।

2) श्री सतीश चन्द्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 12.07.2012 से 01.07.2014 तक।

3) श्री सुशील पाल, निदेशक (वित्त), 18.07.2013 से अब तक।

4) श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक, 27.8.2012 से अब तक।

(ii) वह संस्थान जिन पर महत्वपूर्ण प्रबंधन वैयक्तिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं :

क) मैं. एच. एफ. सी. एल.

has taken. The revaluation of usable fixed assets made by the PDIL in October 2012 and November 2014 for Talchar and Ramagundam Units respectively. The net effect of revaluation of fixed assets is Rs. 20.62 Crore and Rs. 9.21 Crore (Net of Depreciation) for Talcher and Ramagundam Unit.

9. Sale of unusable Assets

Talcher and Ramagundam have been sold their unusable assets with the assistance of MSTC and PDIL for Rs. 112.18 Crore and Rs. 126.95 Crore respectively as approved by CCEA on 09.05.2013 and sale proceeds received during the year have been taken in the books of accounts during the year.

G. RELATED PARTY DISCLOSURES

(I) Key Management Personnel:

1) Shri Sushil Kumar Lohani, Chairman & Managing Director, 01.07.2014 till date.

2) Shri Satish Chandra, C & MD w.e.f. 12.07.2012 to 01.07.2014.

3) Shri Sushil Pal, Director(Fin),18.07.2013 till date.

4) Shri Vijay Ranjan Singh, Director, 27.08.2012 till date.

(II) Enterprises over which key management personnel are able to exercise significant influence:

a) M/s. HFCL

ख) मै. क्रिभको
ग) मै. आर. सी. एफ.
घ) मै. एफ. ए. सी. टी.
ड़) मै. एन. एफ. एल.

b) M/s. KRIBHCO
c) M/s. RCF
d) M/s. FACT
e) M/s. NFL

(iii) कम्पनी तथा संबंधित पार्टियों के कार्य व्यापार का ब्यौरा तथा 31.03.2015 को बकाया अधिशेष की स्थिति:

क.	एच. एफ. सी. एल. से वसूली योग्य	– इस वर्ष 148.37 लाख रुपये पिछले वर्ष 148.37 लाख रुपये
ख.	एन. एफ. एल. से वसूली योग्य	– इस वर्ष 126.36 लाख रुपये पिछले वर्ष 133.40 लाख रुपये
ग.	एन.एफ.एल. से पट्टा किराया	– इस वर्ष शून्य रुपये पिछले वर्ष 1.29 लाख रूपये
घ.	कृभको के अधयक्ष द्वारा ए–14 एसियन खेल गॉंव कम्पलैक्स, नई दिल्ली में अधिग्रहीत फ्लैट का पट्टे पर प्राप्त किराया	– इस वर्ष 11.80 लाख रुपये पिछले वर्ष 11.53 लाख रुपये
ड.	एन.एफ.एल. से प्राप्त पट्टा किराया	– इस वर्ष शून्य रुपये पिछले वर्ष 13.80 लाख रूपये

(III) Disclosure of transactions between the company and related parties and the status of outstanding balances as on 31.3.2015

a)	Recoverable from HFCL	-	C.Y. Rs.148.37 Lakh P.Y. Rs.148.37 Lakh
b)	Recoverable from NFL	-	C.Y. Rs.126.36 Lakh P.Y. Rs.133.40 Lakh
c)	Lease rent recoverable from NFL	-	C.Y. Rs.Nil P.Y. Rs.1.29 Lakh
d)	Lease rent of the Flat at B-14, Asian Games Village Complex, New Delhi occupied by Chairman, KRIBHCO.	-	C.Y. Rs.11.80 Lakh P.Y. Rs.11.53 Lakh
e)	Lease rent received from NFL	-	C.Y. Rs.Nil P.Y. Rs.13.80 Lakh

ज. खण्डीय प्रतिवेदन

कम्पनी में कोई परिचालन न होने के कारण प्रतिवेदन के लिये अलग खण्ड नहीं है।

झ. आय पर कर

सरकार के निगम को बंद कर देने के निर्णय तथा प्रबन्धन की राय कि अब आस्थगित कर को समायोजित करने की कोई

H. SEGMENT REPORTING

In the absence of any operation by the Company, there are no separate segments to be reported.

I. TAXES ON INCOME

In view of decision of the Government for closure of the operations of fertilizer units of

संभावना नहीं है, के कारण, आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी आय पर करों से संबंधित लेखा मानक 22 के अनुसार निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

the Company and further in the opinion of the Management, there being no probability of set off of net deferred tax assets, no adjustments have been carried out in respect of net deferred tax in terms of provisions of Accounting Standard 22 on Taxes on Income, issued by the ICAI.

ञ. प्रति शेयर अर्जन

मूल	(+) 254.33
द्रवीय	(+) 254.33

J. EARNING PER SHARE

Basic	:	(+) 254.33
Diluted	:	(+) 254.33

ट. जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ गत वर्ष के आंकड़ों का पुनर्गठन/वर्गीकृत कर लिया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक बनाया जा सके।

K. Previous year's figures have been regrouped / re-casted wherever found necessary so as to make them comparable to current year's figures.

नगद प्रवाह विवरण
CASH FLOW STATEMENT

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :	**A. Cash flow from operating activities :**		
कर से पूर्व निवल लाभ	Net Profit before Tax		19,09,838
समायोजन के लिये :	Adjustment for:		
मूल्यह्रास	Depreciation	5,514	
ब्याज पर व्यय	Interest Expenses	74	
ब्याज से आय	Interest Income	(1,34,914)	
देयताओं में कमी	Decrease in liabilities	(86,127)	
परिसम्पत्तियों के बिक्री पर लाभ	Profit on sale of Assets	(21,11,916)	
विविध देनदारों में बढ़त	Increase in Sy. Debtors	(367)	
निवेश में बढ़त	Increase in Investment	(100)	
वस्तुसूचियों में कमी	Decrease in Inventories	48,348	
ऋण एवं अग्रिम में बढ़त	Increase in Loan & Advances	(2,60,202)	
			(25,39,690)
			(6,29,852)
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह :	**B. Cash Flow from Investing Activities :**		
ब्याज से आय	Interest Income	1,34,914	
परिसम्पत्तियों की बिक्री	Sale of Assets	23,66,914	
स्थायी परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन	Revaluation of fixed assets		
स्थायी परिसम्पत्तियों में बढ़त	Addition of fixed assets	(388)	
			25,01,440
			18,71,588
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह :	**C. Cash Flow from Financing Activities :**		
ब्याज पर व्यय	Interest Expenses	(74)	
			(74)
			18,71,514

नगद प्रवाह विवरण (जारी)
CASH FLOW STATEMENT (Continued)

आरम्भ में नकद एवं नकद के समान	Cash & Cash equivalent at beginning	5,07,901
अन्त में नकद एवं नकद के समान	Cash & Cash equivalent at the end	23,79,415
		18,71,514

उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण को लेखा मानक-3 के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति से बनाया गया है।

The above cash flow statement has been prepared under the indirect method set out in Accounting Standard-3.

यह हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट में संदर्भित नकद प्रवाह है।

This is the Cash Flow referred to in our report of even date.

ह०/- Sd/-
(विजय रंजन सिंह)/(Vijay Ranjan Singh)
निदेशक/Director

ह०/- Sd/-
(सुशील पाल)/(Sushil Pal)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)

ह०/- Sd/-
(सुशील कुमार लोहानी)/(Sushil Kumar Lohani)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
Chairman & Managing Director

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
महा प्रबंधक/General Manager

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी
M/s. Ghosh Khanna & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 03366 एन
Firm Registration No. 03366N
ह०/- Sd/-
(रोहित कोहली)/(Rohit Kohli)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. : 87722

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 15.09.2015

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

as on the financial year ended on 31.03.2015

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i)	CIN	:	U74899DL1961GOI003439
ii)	Registration Date	:	24.04.1961
iii)	Name of the Company	:	FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LIMITED
iv)	Category/Sub-Category of the Company	:	Limited by shares - Union Govt. Company
v)	Address of the Registered Office and contact details	:	7, Institutional Area, Core III, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
vi)	Whether listed company	:	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any.	:	Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, IFCI Tower, 4th Floor, Nehru Place, New Delhi-110019.

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1	Urea	ITC Code 31021000 when Plants were in operation	
2	Ammonium Nitrate	ITC Code 31023000 when Plants were in operation	

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES -

SL. NO.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDIG/SUBSIDIARY /ASSOCIATE	% of shares held	Applicable Section
1	Fertilizer Corporation of India Limited	U74899DL 1961GOI003439	Private Company	100% shares held by Central Govt.	Section 3(1) (iii) Companies Act 1956

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters **(1) Indian** g) Individual/ HUF **h) Central Govt** i) State Govt (s) j) Bodies Corp. k) Banks / FI l) Any Other…. **Sub-total (A) (1):-** **(2) Foreign** a) NRIs - Individuals b) Other – Individuals c) Bodies Corp. d) Banks / FI e) Any Other…. **Sub-total (A) (2):-** **Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)** **B. Public Shareholding** 1.Institutions	N.A.	7509239 Shares of Rs.1000/- each.	7509239 Shares of Rs.1000/- each.	100%	N.A.	7509239 Shares of Rs.1000/- each.	7509239 Shares of Rs.1000/- each.	100%	Nil

a) Mutual Funds									
b) Banks / FI									
c) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Funds									
f) Insurance Companies									
g) FIIs									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others (specify)									
Sub-total (B)(1):-									
2. Non- Institutions									
a) Bodies Corp.									
i) Indian									
ii) Overseas									
b) Individuals									
i) Individual share holders holding nominal share capital upto Rs.1 lakh									
ii) Individual share holders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh									
c) Others (specify)									
Sub-total (B)(2):-									
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)									
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
Grand Total (A+B+C)	N.A.	7509239 Shares of Rs.1000/- each.	7509239 Shares of Rs.1000/- each.	100%	N.A.	7509239 Shares of Rs.1000/- each.	7509239 Shares of Rs.1000/- each.	100%	Nil

(ii) Shareholding of Promoters

Sl No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year				
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	Share transferred in the name of:	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	% change in shareholding during the year
1	Satish Chandra	1	0.000014	Nil	S.K. Lohani	one	0.000014	Nil	Nil
2	A.K. Parashar	1	0.000014	Nil	K.M. Gupta	one	0.000014	Nil	Nil
3	Neeraj Singhal	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
4.	D.P. Srivastava	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
5.	Sanjay Srivastava	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
6.	Kulwant Rana	1	0.000014	Nil	-	one	0.000014	Nil	Nil
7.	Pravin Tripathi	1	0.000014	Nil	Kulwant Rana	one	0.000014		
8.	President of India	7509232	99.99	Nil		7509239	99.99	Nil	Nil
	Total	7509239	100	Nil		7509239	100	Nil	Nil

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	7509239 of Rs.1000/- each	100%	7509239 of Rs. 1000/- each	100%
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year				

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Top 10 Shareholders	**No. of shares**	**% of total shares of the company**	**No. of shares**	**% of total shares of the company**
	At the beginning of of the year	Shr. Satish Chandra C&MD	0.000014	Sh. S.K. Lohani C&MD w.e.f. 19.8.2014	0.000014
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Directors and KMP	**No. of shares**	**% of total shares of the company**	**No. of shares**	**% of total shares of the company**
	Satish Chandra	One	0.000014	One Sh. S.K. Lohani C&MD w.e.f. 19.8.2014	0.000014
	At the beginning of of the year				
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year				

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	-	-	-	Nil
ii) Interest due but not paid	-	-	-	Nil
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	Nil
Total (i+ ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year	-	-	-	-
· Addition	Nil	Nil	Nil	Nil
· Reduction	Nil	Nil	Nil	Nil
Net Change Indebtedness at the end of the financial year	Nil	Nil	Nil	Nil
i) Principal Amount	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager		Total Amount
		Sh.S.K.Lohani, CMD	Sh.Sushil Pal, WTD.	
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	He is an official from Min. of C&F, Deptt. of Fertilizers and holding Additional charge of CMD of FCIL.	He is an official from Min. of C&F, Deptt. of Fertilizers and holding Additional charge of Dir. (F) of FCIL	Nil
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	Nil	Nil	Nil
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961	Nil	Nil	Nil

2.	Stock Option	-	-	Nil
3.	Sweat Equity	-	-	Nil
4.	Commission - as % of profit - others, specify…	-	-	Nil
5.	Others, please specify	-	-	Nil
	Total (A)	-	-	Nil
	Ceiling as per the Act	-	-	Nil

B. Remuneration to other directors:

Sl. No.	Particulars of Remuneration		Name of Directors			Total Amount
			----	----	---	
	3. Independent Directors - Fee for attending board Committee meetings - Commission - Others, please specify	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	Total (1)	-	-	-	-	-
	4. Other Non-Executive Directors - Fee for attending board Committee meetings - Commission - Others, please specify	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	Total (2)	-	-	-	-	-
	Total (B)=(1+2)	-	-	-	-	-
	Total Managerial Remuneration	-	-	-	-	-
	Overall Ceiling as per the Act					

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	Nil	Nil	Nil	Nil
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	N.A	N.A	N.A	N.A

	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	N.A	N.A	N.A	N.A
2.	Stock Option	N.A	N.A	N.A	N.A
3.	Sweat Equity	N.A	N.A	N.A	N.A
4.	Commission - as % of profit - others, specify…	N.A	N.A	N.A	N.A
5.	Others, please specify	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	**Section of the Companies Act**	**Brief Description**	**Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed**	**Authority [RD / NCLT / COURT]**	**Appeal made, if any (give details)**
A. COMPANY					
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
B. DIRECTORS					
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Compounding	Nil	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

For & on behalf of the
FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LIMITED
Sd/-
(Sushil Pal)
Director (Finance)
DIN - 06608642